

अध्याय-2

राज्य के वित्त

अध्याय 2: राज्य के वित्त

2.1 प्रमुख राजकोषीय संचय में मुख्य परिवर्तन

2018-19 की तुलना में 2019-20 में प्रमुख राजकोषीय संचय में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियां	<ul style="list-style-type: none"> ✓ राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 2.99 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ राज्य की स्व कर प्राप्तियों में 0.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ स्व कर-भिन्न प्राप्तियों में 7.22 प्रतिशत की कमी आई ✓ केंद्रीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा 13.86 प्रतिशत घट गया ✓ भारत सरकार से सहायता अनुदान में 48.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none"> ✓ राजस्व व्यय में 9.97 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 13.19 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 13.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 1.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ 2019-20 के दौरान सहायता अनुदान पर कोई व्यय नहीं हुआ
पूंजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none"> ✓ पूंजीगत व्यय में 15.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 18.04 प्रतिशत की कमी आई ✓ सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 15.01 प्रतिशत की कमी आई ✓ आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 28.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई
ऋण एवं अग्रिम	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण में 73.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली में 0.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none"> ✓ लोक ऋण प्राप्तियों में 29.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ लोक ऋण की अदायगी में 8.19 प्रतिशत की कमी हुई
लोक लेखा	<ul style="list-style-type: none"> ✓ लोक लेखा प्राप्तियों में 10.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ लोक लेखा संवितरण में 12.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई
नकद शेष	✓ पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 के दौरान नकद शेष ₹ 1,013.92 करोड़ (34 प्रतिशत) बढ़ा

2.2 निधियों के स्रोत एवं उपयोग

पिछले वर्ष (2018-19) की तुलना में चालू वर्ष (2019-20) के दौरान निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का सार *तालिका 2.1* में दिया गया है।

तालिका 2.1: 2018-19 और 2019-20 के दौरान निधियों के स्रोतों एवं उपयोग के विवरण


(₹ करोड़ में)

	विवरण	2018-19	2019-20	वृद्धि/कमी (प्रतिशतता)
स्रोत	भारतीय रिजर्व बैंक के पास प्रारंभिक नकद शेष	4,417.46	2,985.55	(-) 1,431.91 (32)
	राजस्व प्राप्तियां	65,885.12	67,858.13	1,973.01 (3)
	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	5,371.90	5,392.63	20.73 (-)
	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	49.01	54.01	5.00 (10)
	लोक ऋण प्राप्तियां (निवल)	17,081.10	28,656.31	11,575.21 (68)
	लोक लेखा प्राप्तियां (निवल)	3,398.74	2,876.23	(-) 522.51 (15)
	कुल	96,203.33	1,07,822.86	11,619.53 (12)
उपयोग	राजस्व व्यय	77,155.54	84,848.21	7,692.67 (10)
	पूंजीगत व्यय	15,306.60	17,665.93	2,359.33 (15)
	ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	755.64	1,309.25	553.61 (73)
	भारतीय रिजर्व बैंक के पास अंतिम नकद शेष	2,985.55	3,999.47	1,013.92 (34)
	कुल	96,203.33	1,07,822.86	11,619.53 (12)

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

परिशिष्ट 2.1 में गत वर्ष के साथ-साथ चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरणों और समग्र राजकोषीय स्थिति के विवरण दिए गए हैं।

2019-20 के दौरान राज्य की समेकित निधि में निधियों की प्राप्ति एवं उपयोग का विवरण चार्ट 2.1 और चार्ट 2.2 में दिया गया है।



स्रोत: वित्त लेखे

2.3 राज्य के संसाधन

राज्य के संसाधनों का वर्णन नीचे दिया गया है:

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश तथा भारत सरकार से सहायतानुदान शामिल होते हैं।
2. **पूंजीगत प्राप्तियों** में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेशों से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्ति (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।


राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां दोनों राज्य की समेकित निधि का हिस्सा हैं।

3. **निवल लोक लेखा प्राप्तियां:** कुछ लेनदेन जैसे लघु बचतें, भविष्य निधि, आरक्षित निधियां, जमा, उंचंत, प्रेषण आदि के संबंध में प्राप्तियां एवं संवितरण हैं, जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं हैं।

इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और ये राज्य विधानसभा द्वारा मतदान के अधीन नहीं होते। यहां, सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरण के बाद शेष राशि सरकार के पास उपयोग के लिए उपलब्ध निधि है।


2.3.1 राज्य की प्राप्तियां

2015-20 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियां **चार्ट 2.3** में दी गई हैं जबकि 2019-20 के दौरान राज्य की प्राप्तियों की संरचना को **चार्ट 2.4** में दर्शाया गया है। राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों के अलावा, राज्य के घाटे को पूरा करने के लिए निवल लोक लेखा प्राप्तियों का भी उपयोग किया जाता है।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.4: 2019-20 के दौरान राज्य की प्राप्तियों की संरचना



स्रोत: वित्त लेखे

- निवल लोक लेखा प्राप्तियां (₹ 2,876 करोड़) = लोक लेखा प्राप्तियों (₹ 45,047 करोड़) में से लोक लेखा संवितरण (₹ 42,171 करोड़) के बाद।

सरकार की कुल प्राप्तियां 2015-20 के दौरान ₹ 33,032 करोड़ (38.27 प्रतिशत) बढ़ गईं। राजस्व प्राप्तियों ₹ 20,301 करोड़ (42.69 प्रतिशत) बढ़ गईं, पूंजीगत प्राप्तियां ₹ 10,261 करोड़ (26.75 प्रतिशत) बढ़ गईं, जिनमें ऋणों एवं अग्रिमों तथा लोक ऋण की वसूली शामिल हैं, और इसी अवधि के दौरान निवल लोक लेखा प्राप्तियां ₹ 2,470 करोड़ (608.37 प्रतिशत) बढ़ गईं।

2.3.2 राजस्व प्राप्तियां

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां एवं वृद्धि


2015-20 की अवधि के दौरान स.रा.घ.उ. के संबंध में राजस्व उत्पलावकता के साथ-साथ राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां एवं वृद्धि तालिका 2.2 में दी गई हैं और चार्ट 2.5 एवं चार्ट 2.6 में भी दर्शाई गई हैं। 2015-20 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों एवं संरचना को परिशिष्ट 2.2 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.2: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां


मानक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजस्व प्राप्तियां (रा.प्रा.) (₹ करोड़ में)	47,557	52,497	62,695	65,885	67,858
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	16.56	10.39	19.43	5.09	2.99
स्व कर राजस्व	30,929	34,026	41,099	42,581	42,825
कर-भिन्न राजस्व	4,753	6,196	9,113	7,976	7,400
स्व राजस्व (स्व कर एवं कर-भिन्न राजस्व) की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.65	12.72	24.84	0.69	(-) 0.66
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	4,95,504	5,61,610	6,49,592	7,34,163	8,31,610
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.35	13.34	15.67	13.02	13.27
रा.प्रा./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	9.60	9.35	9.65	8.97	8.16
उत्पलावकता अनुपात ¹					
स.रा.घ.उ. के संबंध में राजस्व उत्पलावकता	1.24	0.78	1.24	0.39	0.23
स.रा.घ.उ. के संबंध में राज्य की स्व राजस्व उत्पलावकता	0.80	0.95	1.59	0.05	(-) 0.05

स.रा.घ.उ. के आंकड़ों का स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

यह देखा जा सकता है कि राज्य की राजस्व प्राप्तियों की वार्षिक वृद्धि दर 2015-16 में 16.56 प्रतिशत से घटकर 2019-20 में 2.99 प्रतिशत हो गई क्योंकि स्व कर एवं कर-भिन्न राजस्व ने 0.66 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्शाई। राजस्व प्राप्तियों से स.रा.घ.उ. का अनुपात 9.60 प्रतिशत से घटकर 8.16 प्रतिशत हो गया। स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व प्राप्तियों और स्व राजस्व की उत्पलावकता भी 2019-20 के दौरान बहुत कम थी। यह इंगित करता है कि राज्य की राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि स.रा.घ.उ. की वृद्धि के अनुरूप नहीं है।



¹ उत्पलावकता अनुपात राजकोषीय मद की, आधार मद में दी गई मद के सापेक्ष प्रतिक्रियाशीलता/लचीलेपन की मात्रा को इंगित करता है।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य की राजस्व प्राप्तियां 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान 42.69 प्रतिशत बढ़ गईं। इसी अवधि के दौरान राज्य का स्व कर राजस्व 38.46 प्रतिशत, भारत सरकार से सहायता अनुदान 64.95 प्रतिशत तथा केन्द्रीय कर अंतरण 29.39 प्रतिशत बढ़ गए। कुल राजस्व में राज्य के स्व राजस्व (कर राजस्व और कर-भिन्न राजस्व) का अंश 2015-16 में 75.03 प्रतिशत से घटकर 2019-20 में 74.01 प्रतिशत रह गया। भारत सरकार से सहायता अनुदान का अंश 2015-16 में 13.41 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 15.51 प्रतिशत हो गया। केन्द्रीय कर अंतरण का अंश 2015-16 से 2019-20 के दौरान 11.56 प्रतिशत से घटकर 10.48 प्रतिशत हो गया।

चालू वर्ष के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में केवल 2.99 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य का स्व-कर एवं कर-भिन्न राजस्व ₹ 332 करोड़ (0.66 प्रतिशत) घट गया।

2.3.2.2 राज्य के स्वयं के संसाधन

चूंकि केंद्रीय करों एवं सहायता-अनुदानों में राज्यांश वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय होता है, संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आकलन अपने स्वयं के संसाधनों के संदर्भ में किया जाता है जिसमें स्वयं के कर और कर-भिन्न स्रोत शामिल होते हैं।

(i) स्व कर राजस्व

राज्य के स्व कर राजस्व में राज्य वस्तु एवं सेवा कर (रा.व.से.क.), राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस, भू-राजस्व, माल एवं यात्रियों पर कर, इत्यादि शामिल हैं। प्रमुख करों एवं शुल्कों के संबंध में सकल संग्रहण **तालिका 2.3** में दिए गए हैं।

तालिका 2.3: राज्य के स्व कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	स्पार्कलाइन
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	21,060	23,488	15,609	8,998	8,398	
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	0	0	10,833	18,613	18,873	
राज्य उत्पाद शुल्क	4,371	4,613	4,966	6,042	6,323	
वाहनों पर कर	1,401	1,583	2,778	2,908	2,916	
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	3,191	3,283	4,193	5,636	6,013	
भू-राजस्व	15	16	18	19	20	
माल एवं यात्रियों पर कर	554	595	2,317	21	16	
अन्य कर	337	448	385	344	266	
कुल	30,929	34,026	41,099	42,581	42,825	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2015-20 के दौरान कर राजस्व में ₹ 11,895.86 करोड़ (38.46 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। सभी प्रमुख करों एवं शुल्कों ने वृद्धि की प्रवृत्ति दर्ज की। हालांकि, 2018-19 की तुलना में 2019-20 में कर वस्तु एवं सेवा कर में मिल जाने वाले करों जैसे कि बिक्री, व्यापार, आदि पर कर, माल एवं यात्रियों पर कर (स्थानीय क्षेत्र में आगमन पर वस्तुओं पर कर) और अन्य करों में कमी दर्ज की गई।

(iii) राज्य वस्तु एवं सेवा कर (रा.व.से.क.)

वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अनुसार राज्यों को पांच वर्ष के लिए आधार वर्ष से 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि पर विचार करते हुए वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न राजस्व में कमी के लिए क्षतिपूर्ति की जाएगी। हरियाणा के मामले में, 2015-16 के आधार वर्ष के दौरान अंतिमकृत राजस्व आंकड़ा ₹ 15,230.59 करोड़ था।

2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान आधार वर्ष के आंकड़ों के अनुसार अनुमानित राजस्व, वास्तव में एकत्रित राजस्व और भारत सरकार से देय क्षतिपूर्ति तथा प्राप्त क्षतिपूर्ति तालिका 2.4 में दी गई है।

तालिका 2.4: वस्तु एवं सेवा कर का संग्रहण तथा भारत सरकार से क्षतिपूर्ति का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुमानित राजस्व राशि	एकत्रित राजस्व राशि	क्षतिपूर्ति की देय राशि	क्षतिपूर्ति की प्राप्त राशि	कमी
	1	2	3 = 1-2	4	5 = 3-4
2017-18 ²	14,845.26	13,225.69	1619.57	1,199.00	420.57
2018-19	22,564.79	18,597.93	3,966.86	2,820.00	1,146.86
2019-20	25,723.86	18,944.61	6,779.25	5,453.43	1,325.82
कुल	63,133.91	50,768.23	12,365.68	9,472.43	2,893.25

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) और आबकारी एवं कराधान विभाग से प्राप्त की गई सूचना

राज्य में वस्तु एवं सेवा कर के संग्रहण में वृद्धि, अनुमानित वृद्धि की तुलना में कम थी और 2017-20 के दौरान ₹ 63,134 करोड़ की अनुमानित वस्तु एवं सेवा कर की प्राप्ति के विरुद्ध ₹ 12,366 करोड़ की कुल कमी थी। भारत सरकार ने मार्च 2020 तक ₹ 9,472 करोड़ जारी किए।

(iii) वस्तु एवं सेवा कर प्राप्तियों की लेखापरीक्षा

वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क परिसरों में पैन-इंडिया डाटा तक पहुंच प्रदान करने के भारत सरकार के निर्णय को 22 जून 2020 को सूचित किया गया था। राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग ने वस्तु एवं सेवा कर डाटा की लेखापरीक्षा पहुंच प्रदान करने के संबंध में रूपरेखा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन (अक्टूबर 2020) किया है और सूचित किया है कि वस्तु एवं सेवा कर कार्यान्वयन समिति के निर्णय के अनुरूप डाटा पहुंच प्रदान की जाएगी। इसलिए, वर्ष 2019-20 के लिए लेखाओं को नमूना-लेखापरीक्षा के आधार पर प्रमाणित किया गया है जैसा कि वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क डाटा तक लेखापरीक्षा पहुंच प्रदान करने के लिए भारत सरकार के निर्णय के पूर्ण कार्यान्वयन के लंबित होने के कारण अभिलेखों को मैनुअल रूप से बनाया जा रहा था।

(iv) राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2020 तक राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों में राजस्व के बकाया की राशि ₹ 32,684.28 करोड़ थी जिसमें से ₹ 5,571.93 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे जैसाकि तालिका 2.5 में दर्शाया गया है। विभिन्न चरणों में वसूली की स्थिति का विवरण परिशिष्ट 2.3 में दिया गया है।

² वर्ष 2017-18 की राशि जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक नौ माह की अवधि से संबंधित है।

तालिका 2.5: 31 मार्च 2020 तक राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	कुल बकाया राशि	पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि
1	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	30,717.17	4,934.61
2	राज्य उत्पाद शुल्क	310.48	196.28
3	बिजली पर कर एवं शुल्क	325.20	179.30
4	स्थानीय क्षेत्र में आगमन पर वस्तुओं पर कर (स्थानीय क्षेत्र विकास कर)	206.32	147.96
5	पुलिस	127.98	40.91
6	उपयोगी वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क - मनोरंजन शुल्क से प्राप्तियां	11.69	11.69
7	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	985.44	61.18
	कुल	32,684.28	5,571.93

स्रोत: राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना

(v) निर्धारणों में बकाया

वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों, निर्धारण हेतु देय मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों तथा वर्ष के अंत में अंतिमकरण के लिए लंबित मामलों की संख्या के विवरण, जैसा कि आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा बिक्री कर के संबंध में प्रस्तुत किए गए हैं, तालिका 2.6 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.6: निर्धारणों में बकाया

राजस्व शीर्ष	वर्ष	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान निर्धारण हेतु देय नए मामले	कुल देय निर्धारण	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अंत में शेष	निपटान की प्रतिशतता (कॉलम 6 से 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	2018-19	3,12,411	2,19,396	5,31,807	2,35,122	2,96,685	44
	2019-20	2,96,685	31,594	3,28,279	2,92,709	35,570	89

स्रोत: राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना

(vi) विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन का विवरण

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन के मामलों, अंतिमकृत मामलों और अतिरिक्त कर के लिए उठाई गई मांगों के विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया था, तालिका 2.7 में दिए गए हैं।

तालिका 2.7: वर्ष 2019-20 के दौरान पता लगाए गए कर के अपवंचन के मामलों के विवरण

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2019 तक लंबित मामले	2019-20 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पूरी हुई तथा पेनल्टी आदि के साथ अतिरिक्त मांग उठाई गई।		31 मार्च 2020 तक अंतिमकरण हेतु लंबित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग राशि (₹ करोड़ में)	
1	0039- राज्य उत्पाद शुल्क	418	8,250	8,668	8,378	8.39	290
2	0040- बिक्री कर	18	4	22	21	2.60	1

स्रोत: राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना

(vii) रिफंड मामले

वर्ष 2019-20 के आरंभ में लंबित रिफंड मामलों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत रिफंडों तथा वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर लंबित मामलों की संख्या, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया, **तालिका 2.8** में दी गई है।

तालिका 2.8: वर्ष 2019-20 के दौरान रिफंड मामलों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	बिक्री कर/वैट		राज्य उत्पाद शुल्क	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	बकाया दावों का आरंभिक शेष	327	69.15	29	0.64
2	प्राप्त दावे	1,454	376.60	271	39.99
3	किए गए/समायोजित रिफंड	1,245	257.77	247	38.45
4	अस्वीकृत रिफंड	15	0.90	2	0.20
5	बकाया दावों का अंतिम शेष	521	187.08	51	1.98

स्रोत: राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना

(viii) कर-भिन्न राजस्व

कर-भिन्न राजस्व में ब्याज प्राप्तियां, लाभांश एवं लाभ, खनन प्राप्तियां, विभागीय प्राप्तियां आदि शामिल होती हैं। 2015-20 के दौरान राज्य के कर-भिन्न राजस्व के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियां **तालिका 2.9** में दी गई हैं।

तालिका 2.9: राज्य के कर-भिन्न राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)


राजस्व शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	स्पार्कलाइन
ब्याज प्राप्तियां	1,088	2,310	2,228	1,954	1,975	
लाभांश एवं लाभ	16	6	8	57	87	
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	3,649	3,880	6,877	5,965	5,338	
क) प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई	110	113	132	164	172	
ख) सड़क परिवहन	1,255	1,265	1,280	1,197	1,115	
ग) शहरी विकास	422	599	2,861	2,316	1,855	
घ) शिक्षा	637	640	674	272	458	
ड) अलौह खनन	272	497	713	583	702	
च) अन्य	953	766	1,217	1,433	1,036	
कुल	4,753	6,196	9,113	7,976	7,400	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2015-20 के दौरान कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां ₹ 2,647 करोड़ (55.69 प्रतिशत) बढ़ीं। कर-भिन्न राजस्व (₹ 7,400 करोड़) ने मुख्यतः शहरी विकास (₹ 461 करोड़) में कमी के कारण गत वर्ष से ₹ 576 करोड़ (7.22 प्रतिशत) की कमी दर्ज करते हुए 2019-20 के दौरान राजस्व प्राप्ति का 10.91 प्रतिशत संघटित किया। ₹ 1,975 करोड़ की ब्याज प्राप्तियों में सिंचाई परियोजना, अनाज आपूर्ति योजना तथा सड़क पर ₹ 1,420 करोड़ का बही समायोजन शामिल है।

2.3.2.3 केंद्र से अंतरण

2011-12 से 2019-20 के दौरान केंद्र से अंतरण की प्रवृत्तियां चार्ट 2.7 में दर्शाई गई हैं।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

(i) केंद्रीय कर अंतरण

तेरहवें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से को 30.50 से 32 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की थी। तदनुसार, केंद्रीय कर (सेवा कर को छोड़कर) की निवल आय तथा सेवा कर की निवल आय में राज्यांश क्रमशः 1.048 तथा 1.064 प्रतिशत तय किया गया था। चौदहवें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से को 32 से 42 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की थी। तदनुसार, केंद्रीय कर (सेवा कर को छोड़कर) की निवल आय तथा सेवा कर की निवल आय में राज्यांश क्रमशः 1.084 तथा 1.091 प्रतिशत तय किया गया था।

केंद्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश 2010-11 में ₹ 2,302 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 8,255 करोड़ हो गया और 2019-20 में घट गया (₹ 7,111 करोड़) जैसा कि तालिका 2.10 में विवरण दिए गए हैं।

तालिका 2.10: केंद्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश: बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक हस्तांतरण

वर्ष	वित्त आयोग प्रक्षेपण	बजट अनुमान	वास्तविक कर हस्तांतरण	अंतर
1.	2.	3.	4.	5. (4-3)
2010-11	13वें वित्त आयोग के अनुसार, राज्य को केंद्रीय करों की साझा करने योग्य राशि का 32 प्रतिशत	2,194	2,302	108
2011-12		2,765	2,682	(-) 83
2012-13		3,180	3,062	(-) 118
2013-14		3,484	3,343	(-) 141
2014-15		4,010	3,548	(-) 462
2015-16	14 वें वित्त आयोग के अनुसार, राज्यों को केंद्रीय करों की साझा करने योग्य राशि का 42 प्रतिशत	5,680	5,496	(-) 184
2016-17		6,189	6,597	408
2017-18		8,372	7,298	(-) 1,074
2018-19		9,300	8,255	(-) 1,045
2019-20		11,216	7,111	(-) 4,105

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2015-16 से 2019-20 तक केंद्रीय कर अंतरण का विवरण **तालिका 2.11** में दिया गया है।

तालिका 2.11: केंद्रीय कर अंतरण के विवरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी.जी.एस.टी.)	--	--	104.36	2,037.54	2,018.07
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई.जी.एस.टी.)	--	--	737.08	162.60	-- ³
निगम कर	1,733.37	2,118.57	2,235.92	2,870.86	2,424.73
निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर	1,204.79	1,472.41	1,888.08	2,114.27	1,899.93
सीमा शुल्क	880.83	911.33	736.90	585.17	450.77
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	733.13	1,040.65	770.20	388.87	313.42
सेवा कर	939.76	1,049.64	825.05	75.03	--
अन्य कर ⁴	4.34	4.87	-0.07	20.26	4.61
केंद्रीय कर अंतरण	5,496.22	6,597.47	7,297.52	8,254.60	7,111.53
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	55	20	11	13	-14
राजस्व प्राप्तियों में केंद्रीय कर अंतरण की प्रतिशतता	12	13	12	13	10

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2019-20 के दौरान प्राप्त केंद्रीय करों का हिस्सा (₹ 7,111.53 करोड़) 2018-19 की तुलना में ₹ 1,143.07 करोड़ (14 प्रतिशत) कम था। यह 2019-20 के बजट अनुमानों में किए गए अनुमानों (₹ 11,216.64 करोड़) की तुलना में ₹ 4,105.11 करोड़ कम है।

(ii) भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार से सहायतानुदानों में पिछले वर्ष से 2019-20 में ₹ 3,448.37 करोड़ की बढ़ोतरी हुई जैसा कि **तालिका 2.12** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.12: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
गैर-योजनागत अनुदान	3,744.39	3,078.49	--	--	--
राज्य योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	2,268.18	2,327.52	--	--	--
केंद्रीय योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	27.53	34.50	--	--	--
केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान	338.66	237.07	2,326.62	2,843.09	2,851.99
वित्त आयोग अनुदान	--	--	1,316.68	1,274.26	2,005.74
वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि के लिए क्षतिपूर्ति	--	--	1,199.00	2,820.00	5,453.43
राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान	--	--	342.82	136.19	210.75
कुल	6,378.76	5,677.58	5,185.12	7,073.54	10,521.91
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	28	-11	-9	36	49
राजस्व प्राप्तियों से सहायतानुदान की प्रतिशतता	13	11	8	11	16

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

³ 2019-20 के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की घरेलू आपूर्ति पर एकीकृत माल और सेवा कर के मामले में भारत सरकार द्वारा एकीकृत माल और सेवा कर (आई.जी.एस.टी.) की निवल प्राप्तियों के हिस्से का बंटवारा न करना।

⁴ संपत्ति कर, आय तथा व्यय पर अन्य कर, वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क कर सहित।

2019-20 के दौरान सहायतानुदान का 51.83 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि की प्रतिपूर्ति के बदले क्षतिपूर्ति के कारण था।

(iii) चौदहवें वित्त आयोग के अनुदान

चौदहवें वित्त आयोग के अनुदान राज्यों को स्थानीय निकायों और राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (रा.आ.प्र.नि.) के लिए प्रदान किए गए थे। भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों के विवरण **तालिका 2.13** में दिए गए हैं।

तालिका 2.13: सहायतानुदान की अनुशंसित राशि, वास्तविक विमोचन तथा अंतरण

(₹ करोड़ में)

अंतरण	14वें वित्त आयोग की सिफारिश 2015-20			भारत सरकार द्वारा वास्तविक विमोचन			राज्य सरकार द्वारा किए गए अंतरण		
	2015-16 से 2018-19	2019-20	कुल	2015-16 से 2018-19	2019-20	कुल	2015-16 से 2018-19	2019-20	कुल
स्थानीय निकाय									
(i) पंचायती राज संस्थाओं (पं.रा.सं.) को अनुदान	2,706.84	1,176.68	3,883.52	2,608.97	1,048.53	3,657.50	2,608.97	1,048.53	3,657.50
(क) सामान्य मूल अनुदान	2,446.64	1,048.53	3,495.17	2,446.64	1,048.53	3,495.17	2,446.64	1,048.53	3,495.17
(ख) सामान्य निष्पादन अनुदान	260.20	128.15	388.35	162.33	0.00	162.33	162.33	0.00	162.33
(ii) शहरी स्थानीय निकायों (श.स्था.नि.) को अनुदान	1,443.49	636.45	2,079.94	999.07	730.11	1,729.18	999.07	730.11	1,729.18
(क) सामान्य मूल अनुदान	1,164.77	499.18	1,663.95	923.62	637.80	1,561.42	923.62	637.80	1,561.42
(ख) सामान्य निष्पादन अनुदान	278.72	137.27	415.99	75.45	92.31	167.76	75.45	92.31	167.76
स्थानीय निकायों का योग	4,150.33	1,813.13	5,963.46	3,608.04	1,778.64	5,386.68	3,608.04	1,778.64	5,386.68
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	1,326.00	374.00	1,700.00	1,326.00	374.00	1,700.00	1,326.00	374.00	1,700.00
कुल योग	5,476.33	2,187.13	7,663.46	4,934.04	2,152.64	7,086.68	4,934.04	2,152.64	7,086.68

स्रोत: वित्त विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना

2.3.3 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे कि विनिवेशों से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। पांच वर्षों (2015-20) के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों का विवरण **तालिका 2.14** में दिया गया है।

तालिका 2.14: पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि एवं संरचना में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
पूंजीगत प्राप्तियां	38,356.69	29,169.02	27,870.56	39,685.88	49,878.46
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	29.98	26.27	39.87	49.01	54.01
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	328.28	973.23	6,340.93	5,371.90	5,392.63
लोक ऋण प्राप्तियां	37,998.43	28,169.52	21,489.76	34,264.97	44,431.82
आंतरिक ऋण ⁵	37,901.20	28,046.26	21,348.75	34,140.14	44,329.43 ⁶
वृद्धि दर	102.38	(-) 26.00	(-) 23.88	59.92	29.85
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	97.23	123.26	141.01	124.83	102.39
वृद्धि दर	(-) 25.64	26.77	14.40	(-) 11.47	(-) 17.98
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	101.49	(-) 25.87	(-) 23.71	59.45	29.67
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	22.88	178.99	538.40	-15.04	0.47
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर	13.35	13.34	15.67	13.02	13.27
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	100.29	(-) 23.95	(-) 4.45	42.39	25.68

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2018-19 की तुलना में 2019-20 के दौरान आंतरिक ऋण प्राप्तियों में ₹ 10,189.29 करोड़ की वृद्धि हुई। ऋणों और अग्रिमों की वसूली में वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान डिस्कॉमज के ₹ 5,190 करोड़ के ऋणों का इक्विटी में रूपांतरण शामिल है। राज्य सरकार ने ₹ 25,950 करोड़ (उदय स्कीम के अंतर्गत 30 सितंबर 2015 को डिस्कॉम की कुल देयताओं का 75 प्रतिशत) के ऋणों को अधिगृहीत करने के लिए 2015-16 में ₹ 17,300 करोड़ तथा 2016-17 में ₹ 8,650 करोड़ के विद्युत बॉण्ड जारी किए थे और वित्तीय पैकेज को सहायतानुदान (₹ 7,785 करोड़), इक्विटी पूंजी (₹ 2,595 करोड़) तथा डिस्कॉम को ऋण (₹ 15,570 करोड़) के रूप में माना गया। 2017-20 के दौरान ₹ 15,570 करोड़ के कुल ऋणों को इक्विटी में परिवर्तित किया गया है।

2.3.4 संसाधन जुटाने में राज्य का निष्पादन

चूंकि केंद्रीय करों एवं सहायता-अनुदानों में राज्यांश वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय होता है, संसाधन जुटाने में राज्य के निष्पादन का आकलन अपने स्वयं के संसाधनों, जिसमें स्वयं के कर एवं कर-भिन्न स्रोत शामिल हैं, के संदर्भ में किया जाता है।

14वें वि.आ. तथा म.अ.रा.नी.वि. द्वारा किए गए निर्धारणों की तुलना में वर्ष 2019-20 के लिए राज्य की वास्तविक कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां तालिका 2.15 में दी गई हैं।

तालिका 2.15: 14वें वि.आ. तथा म.अ.रा.नी.वि. द्वारा किए गए निर्धारण की तुलना में वास्तविक कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

	14वें वि.आ. प्रक्षेपण	बजट अनुमान	म.अ.रा.नी.वि. प्रक्षेपण	वास्तविक	पर वास्तविक की प्रतिशत भिन्नता		
					14वें वि.आ. प्रक्षेपण	बजट अनुमान	म.अ.रा.नी.वि. प्रक्षेपण
कर राजस्व	77,806	51,105	51,105	42,825	(-) 44.96	(-) 16.20	(-) 16.20
कर-भिन्न राजस्व	5,109	10,025	10,025	7,400	44.84	(-) 26.18	(-) 26.18

⁵ अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत सकल आंकड़ों सहित।

⁶ ₹ 1,261.75 करोड़ के अर्थोपाय अग्रिम सहित।

राज्य के स्व कर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक संग्रहण 14वें वि.आ. द्वारा किए गए प्रक्षेपणों से 44.96 प्रतिशत तथा बजट अनुमानों तथा म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपणों से 16.20 प्रतिशत कम रहा। कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां 14वें वि.आ. द्वारा किए गए प्रक्षेपणों से 44.84 प्रतिशत अधिक थीं किंतु बजट अनुमानों एवं म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपणों से 26.18 प्रतिशत कम रही। इस प्रकार राज्य सरकार बजट और म.अ.रा.नी.वि. में अनुमानित अपने स्वयं के लक्ष्यों को भी प्राप्त नहीं कर सकी।

2.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार के पास राजकोषीय उत्तरदायित्व विधियों के ढांचे के भीतर व्यय करने का उत्तरदायित्व निहित है और उसी समय यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की चालू राजकोषीय सुधार तथा समेकन प्रक्रिया, पूंजीगत बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्र के विकास की ओर निर्देशित व्यय की लागत पर नहीं है। संसाधनों के अनुप्रयोग का विश्लेषण, विभिन्न शीर्षकों जैसे व्यय की वृद्धि एवं संरचना, राजस्व व्यय, प्रतिबद्ध व्यय तथा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता के रूप में अनुवर्ती अनुच्छेदों में किया गया है।

2.4.1 व्यय की वृद्धि एवं संरचना

राज्य सरकार के व्यय को दो श्रेणियों अर्थात् राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में वर्गीकृत किया जा सकता है। राजस्व व्यय में रखरखाव, मरम्मत, सुव्यवस्था तथा कार्यशील व्ययों पर प्रभारों, जो परिसंपत्तियों को चालू अवस्था में बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, के साथ-साथ स्थापना एवं प्रशासनिक व्ययों सहित संगठन के दिन-प्रतिदिन के व्यय के लिए अन्य सभी व्यय भी शामिल हैं।

पूंजीगत व्यय में परियोजना के पहले निर्माण के सभी प्रभारों के साथ-साथ कार्य के मध्यवर्ती रखरखाव, जबकि सेवा के लिए नहीं खोला गया, के प्रभार और ऐसे अतिरिक्त परिवर्धनों और सुधारों के प्रभार भी शामिल हैं जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत स्वीकृत किए जा सकते हैं।


गत पांच वर्षों (2015-20) में कुल व्यय की प्रवृत्ति और संरचना तालिका 2.16 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.16: कुल व्यय और इसकी संरचना


(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल व्यय (कु.व्य.)	79,394	79,781	88,190	93,218	1,03,823
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	59,236	68,403	73,257	77,155	84,848
पूंजीगत व्यय (पूं.व्य.)	6,908	6,863	13,538	15,307	17,666
ऋण एवं अग्रिम	13,250	4,515	1,395	756	1,309
स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में					
कु.व्य./स.रा.घ.उ.	16.02	14.21	13.58	12.70	12.48
रा.व्य./स.रा.घ.उ.	11.95	12.18	11.28	10.51	10.20
पूं.व्य./स.रा.घ.उ.	1.39	1.22	2.08	2.08	2.12
ऋण एवं अग्रिम/स.रा.घ.उ.	2.67	0.80	0.21	0.10	0.16

पांच वर्षों (2015-20) की अवधि में कुल व्यय में 30.77 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 2015-20 के दौरान राजस्व व्यय में 43.24 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसी अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय में 155.73 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान डिस्कॉम ऋणों को इक्विटी में परिवर्तित करना था। ₹ 11,677.50 करोड़ (2017-18 से 2019-20 तक तीन वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष ₹ 3,892.50 करोड़) के ऋण का इक्विटी में परिवर्तित करना उदय योजना के त्रिपक्षीय समझौता जापन के विरुद्ध था और इसके परिणामस्वरूप तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष पूंजीगत व्यय अधिक तथा राजस्व व्यय कम दर्शाया गया।



जैसा कि चार्ट 2.8 में दर्शाया गया है, कुल व्यय में राजस्व व्यय का अंश 2015-16 में 74.61 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 85.74 प्रतिशत हो गया और 2019-20 में 81.72 प्रतिशत था, जबकि कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अंश 2015-16 में 8.70 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 17.02 प्रतिशत हो गया। उदय योजना के अंतर्गत ऋणों के संवितरण के कारण 2015-16 में ऋणों एवं अग्रिमों का अंश 16.69 प्रतिशत था जो कि 2019-20 में 1.26 प्रतिशत था।



जैसा कि चार्ट 2.9 में दर्शाया गया है, सामान्य सेवाओं का अंश, जिसमें ब्याज भुगतान शामिल हैं, 2016-17 से बढ़ती प्रवृत्ति दिखा रहा है और 2019-20 में 31.27 प्रतिशत था। सामाजिक सेवाओं का अंश भी 2019-20 में 35.60 प्रतिशत तक बढ़ा और आर्थिक सेवाओं पर व्यय 2015-16 में 29.72 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 31.87 प्रतिशत हो गया। सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर संयुक्त व्यय, जो विकास व्यय का प्रतिनिधित्व करता है, 2015-16 में 58.79 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 67.47 प्रतिशत हो गया। अन्य, जिसमें स्थानीय निकायों के लिए अनुदान तथा ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं, में उदय योजना के अंतर्गत डिस्कॉम को ऋणों के संवितरण के कारण 2015-16 के दौरान कुल व्यय का 17.06 प्रतिशत था जो 2019-20 के दौरान 1.26 प्रतिशत तक कम हो गया।

2.4.2 राजस्व व्यय

सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने तथा पिछले दायित्वों के भुगतान के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार, यह राज्य के बुनियादी ढांचे और सेवा नेटवर्क में कोई अतिरिक्त वृद्धि नहीं करता है। तालिका 2.17 पांच वर्षों (2015-20) में राजस्व व्यय की वृद्धि को प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.17: 2015-20 के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि


(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल व्यय (कु.व्य.)	79,394	79,781	88,190	93,218	1,03,823
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	59,236	68,403	73,257	77,155	84,848
रा.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	20.60	15.48	7.10	5.32	9.97
कु.व्य. की प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय	74.61	85.74	83.07	82.77	81.72
रा.व्य./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	11.95	12.18	11.28	10.51	10.20
रा.प्रा. की प्रतिशतता के रूप में रा.व्य.	124.56	130.30	116.85	117.11	125.04
राजस्व प्राप्तियां (रा.प्रा.)	47,557	52,497	62,695	65,885	67,858
रा.प्रा. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	16.56	10.39	19.43	5.09	2.99
स.रा.घ.उ.	4,95,504	5,61,610	6,49,592	7,34,163	8,31,610
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.35	13.34	15.67	13.02	13.27
के साथ राजस्व व्यय की उत्प्लावकता					
स.रा.घ.उ. (अनुपात)	1.54	1.16	0.45	0.41	0.75
राजस्व प्राप्तियां (अनुपात)	1.24	1.49	0.37	1.05	3.33

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2015-20 के दौरान राजस्व व्यय में ₹ 25,612 करोड़ (43 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। स.रा.घ.उ. में इसकी प्रतिशतता 2015-16 में 11.95 से घटकर 2019-20 में 10.20 हो गई। राजस्व व्यय 2018-19 में ₹ 77,155 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 84,848 करोड़ हो गया।

2019-20 में ₹ 84,848 करोड़ का राजस्व व्यय बजट और म.अ.रा.नी.वि. (₹ 94,242 करोड़) में किए गए प्रक्षेपण से कम था। राज्य राजस्व व्यय को 14वें वित्त आयोग के निर्धारित मानक (₹ 72,739 करोड़) के भीतर नहीं रख सका। राजस्व व्यय का क्षेत्रवार संवितरण चार्ट 2.10 में प्रस्तुत किया गया है।



2.4.2.1 राजस्व व्यय में प्रमुख बदलाव

तालिका 2.18: 2018-19 की तुलना में 2019-20 के दौरान राजस्व व्यय में प्रमुख बदलाव

(₹ करोड़ में)

प्रमुख लेखा शीर्ष	2018-19	2019-20	वृद्धि (+)/कमी (-)
सामान्य सेवाएं	28,168.97	31,883.95	3,714.98
2015-चुनाव	45.21	133.93	88.72
2049-ब्याज भुगतान	13,551.46	15,588.01	2,036.55
2055-पुलिस	3,875.57	4,423.72	548.15
2075-विविध सामान्य सेवाएं	0.36	149.42	149.06
सामाजिक सेवाएं	29,743.19	33,726.48	3,983.29
2202-सामान्य शिक्षा	11,973.86	13,644.01	1,670.15
2203-तकनीकी शिक्षा	394.78	529.49	134.71
2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	3,473.93	4,249.85	775.92
2217-शहरी विकास	2,922.06	3,300.80	378.74
2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	398.71	287.19	-111.52
2230-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास	659.36	909.42	250.06
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	6,787.53	7,618.95	831.42
आर्थिक सेवाएं	19,021.58	19,237.78	216.20
2401-फसल पालन	1,332.52	969.49	-363.03
2415-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	386.01	482.82	96.81
2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	158.66	116.13	-42.53
2505-ग्रामीण रोजगार	201.78	110.13	-91.65
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3,015.76	3,714.20	698.44
3054-सड़कें एवं पुल	729.81	1,086.52	356.71
सहायतानुदान एवं अंशदान	221.80	0.00	-221.80
3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	221.80	0.00	-221.80

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि **तालिका 2.18** में दर्शाया गया है, सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में ₹ 3,714.98 करोड़ की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण चुनावों, पुलिस सेवाओं, ब्याज भुगतानों और विविध सामान्य सेवाओं पर अधिक व्यय था। वर्ष के दौरान बाजार ऋणों पर ब्याज भुगतान में ₹ 1,625.28 करोड़ की वृद्धि हुई। गत वर्ष की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर व्यय में ₹ 3,983.29 करोड़ की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, शहरी विकास, श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर अधिक व्यय था। आर्थिक सेवाओं पर व्यय में ₹ 216.20 करोड़ की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सड़कों एवं पुलों पर अधिक व्यय था। बजट में कोई प्रावधान न होने के कारण 2019-20 के दौरान सहायतानुदान एवं अंशदान पर कोई व्यय नहीं किया गया था।

2.4.2.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखा पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी और पेंशनों पर व्यय शामिल हैं। इसका सरकारी संसाधनों पर पहला प्रभार है। प्रतिबद्ध व्यय पर वृद्धि की प्रवृत्ति सरकार के पास विकास क्षेत्र के लिए कम लचीलापन है। 2015-20 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को **तालिका 2.19** एवं **चार्ट 2.11** में प्रस्तुत किया गया है।


तालिका 2.19: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
वेतन एवं मजदूरियां	15,294	17,321	18,632	19,763	22,365 ⁷
पेंशन पर व्यय	5,413	5,659	8,783	8,140	8,833
ब्याज भुगतान	8,284	10,542	11,961	13,551	15,588
कुल	28,991	33,522	39,376	41,454	46,786
राजस्व प्राप्तियों (रा.प्रा.) की प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरियां	32.16	32.99	29.72	30.00	32.96
पेंशन पर व्यय	11.38	10.78	14.01	12.35	13.02
ब्याज भुगतान	17.42	20.08	19.08	20.57	22.97
कुल	60.96	63.85	62.81	62.92	68.95
राजस्व व्यय (रा.व्य.) की प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरियां	25.82	25.32	25.43	25.62	26.36
पेंशन पर व्यय	9.14	8.28	11.99	10.55	10.41
ब्याज भुगतान	13.98	15.41	16.33	17.56	18.37
कुल	48.94	49.01	53.75	53.73	55.14

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

⁷ ₹ 644 करोड़ की मजदूरी सहित



वेतन, ब्याज एवं पेंशन भुगतानों पर किया गया कुल व्यय (₹ 46,142 करोड़), सरकार द्वारा म.अ.रा.नी.वि. (₹ 47,534 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से ₹ 1,392 करोड़ (2.93 प्रतिशत) कम था तथा इन मदों पर राजस्व प्राप्तियों का 68 प्रतिशत उपभोग हुआ था।

2015-16 से 2019-20 के दौरान वेतन एवं मजदूरी, ब्याज तथा पेंशन पर प्रतिबद्ध व्यय के कारण राजस्व व्यय 49 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया।

2.4.2.3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अमुक्त देयताएं

1 जनवरी 2006 को या उसके बाद भर्ती हुए राज्य सरकार के कर्मचारी 'परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना' नामक नई पेंशन योजना के लिए पात्र हैं। योजना के अनुसार कर्मचारी मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान देता है, राज्य सरकार द्वारा भी बराबर अंशदान दिया जाता है और पूरी राशि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (ने.सि.डि.लि.) के माध्यम से नामित फंड मैनेजर को हस्तांतरित की जाती है। वर्षों से कर्मचारियों द्वारा देय वास्तविक राशि और उसके अनुकूल सरकार के अंशदान का अनुमान नहीं लगाया गया है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार कोई भी अंशदान खाता शीर्ष '8342-117' अन्य जमा - परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत अस्थाई उपाय के रूप में भी नहीं रखा जाना है। लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 32.89 करोड़ की राशि उपर्युक्त प्रमुख शीर्ष के अंतर्गत 31 मार्च 2020 तक रखी गई थी जैसाकि **तालिका 2.20** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.20: नई पेंशन योजना अंशदान की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कर्मचारी अंशदान	राज्य सरकार द्वारा अंशदान	कुल	कम अंशदान	ने.सि.डि.लि. को कुल अंतरण	ने.सि.डि.लि. को कम अंतरण
1	2	3	4=(2+3)	5=(2-3)	6	7=(4-6)
31 मार्च 2015 को राज्य सरकार के पास पड़े पेंशन निधियों के शेष						8.11
2015-16	328.94	278.83	607.77	50.11	596.45	11.32
2016-17	382.15	378.04	760.19	4.11	729.70	30.49
2017-18	479.94	460.44	940.38	19.50	975.76	(-) 35.38
2018-19	565.88	534.30	1,100.18	31.58	1,086.16	14.02
2019-20	717.91	694.20	1,412.11	23.71	1,407.78	4.33
कुल	2,474.82	2,345.81	4,820.63	129.01	4,795.85	32.89

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2015-16 से 2019-20 के दौरान ₹ 2,474.82 करोड़ के कर्मचारियों के अंशदान के विरुद्ध राज्य सरकार ने ₹ 2,345.81 करोड़ अर्थात् ₹ 129.01 करोड़ का कम अंशदान दिया। 2015-20 के दौरान ₹ 4,820.63 करोड़ की कुल राशि में से राज्य सरकार ने ने.सि.डि.लि. को ₹ 4,795.85 करोड़ अर्थात् ₹ 24.78 करोड़ कम हस्तांतरित किए। 31 मार्च 2020 तक राज्य सरकार के पास ₹ 32.89 करोड़ की शेष राशि पड़ी थी। ने.सि.डि.लि. को सरकार के हिस्से के साथ अंशदान का हस्तांतरण न होने के कारण राज्य सरकार की देयता बढ़ गई।

राज्य सरकार को कारणों की जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए कि कर्मचारियों का अंशदान और उसके समान सरकारी अंशदान पूरी तरह से समय पर ने.सि.डि.लि. को हस्तांतरित कर दिया जाए।

2.4.2.4 सब्सिडीज

सब्सिडीज पर व्यय 2015-16 में ₹ 6,899 करोड़ से 2019-20 में 1,206 करोड़ (17.48 प्रतिशत) बढ़कर ₹ 8,105 करोड़ हो गया, जो राजस्व प्राप्तियों का 11.94 प्रतिशत था जैसा कि तालिका 2.21 में दिया गया है। विद्युत: ₹ 7,012 करोड़ (86.51 प्रतिशत), कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों: ₹ 934 करोड़ (11.54 प्रतिशत), ग्राम और लघु उद्योग: ₹ 100 करोड़ (1.23 प्रतिशत) तथा सामाजिक सेवाएं: ₹ 59 करोड़ (0.72 प्रतिशत) पर सब्सिडीज वितरित की गई। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए कुल सब्सिडीज (₹ 6,978 करोड़) म.अ.रा.नी.वि. (₹ 6,878 करोड़) के प्रक्षेपण से अधिक थी।

तालिका 2.21: 2015-20 के दौरान सब्सिडीज पर व्यय

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
सब्सिडीज (₹ करोड़ में)	6,899	7,654	8,446	8,549	8,105
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में सब्सिडीज	14.51	14.58	13.47	12.98	11.94
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सब्सिडीज	11.65	11.19	11.53	11.08	9.55

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2.4.2.5 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता

तालिका 2.22: स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)


संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
(क) स्थानीय निकाय					
नगर निगम और नगर पालिकाएं	1,045.99	1,585.77	2,466.82	2,092.31	2,279.46
पंचायती राज संस्थाएं	1,261.94	2,263.80	2,283.43	2,547.17	3,098.12
कुल (क)	2,307.93	3,849.57	4,750.25	4,639.48	5,377.58
(ख) अन्य					
शैक्षिक संस्थान (सहायता प्राप्त स्कूल, सहायता प्राप्त कॉलेज, विश्वविद्यालय, आदि)	1,984.67	2,130.56	2,102.96	2,093.14	2,496.64
विकास प्राधिकरण	878.09	757.94	868.04	865.54	812.88
चिकित्सालय एवं अन्य धर्मार्थ संस्थान	1,010.97	1,117.68	1,101.14	1,350.08	1,745.08
अन्य संस्थान	4,584.31	4,791.39	1,021.92	1,129.59	905.17
कुल (ख)	8,458.04	8,797.57	5,094.06	5,438.35	5,959.77
कुल (क+ख)	10,765.97	12,647.14	9,844.31	10,077.83	11,337.35
राजस्व व्यय	59,236	68,403	73,257	77,155	84,848
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता	18.17	18.49	13.44	13.06	13.36

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.22 इंगित करती है कि स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता 2015-16 में ₹ 10,765.97 करोड़ से 2019-20 के दौरान राजस्व व्यय का 13.36 प्रतिशत संघटित करते हुए बढ़कर ₹ 11,337.35 करोड़ हो गई। इसमें गत वर्ष की तुलना में ₹ 1,259.52 करोड़ (12.50 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण पंचायती राज संस्थाओं, शैक्षिक संस्थाओं तथा अस्पतालों एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाओं को अधिक संवितरण था।

2.4.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) मुख्य रूप से स्थायी मूलभूत संरचना परिसंपत्तियों जैसे कि सड़कों, भवनों आदि के सृजन पर किया गया व्यय है। पूंजीगत व्यय और कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में पूंजीगत व्यय का विवरण चार्ट 2.12 में दर्शाया गया है।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2.4.3.1 पूंजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

2019-20 के दौरान पूंजीगत व्यय में मुख्य रूप से आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत ऋणों को इक्विटी में परिवर्तित करके डिस्कॉमज की इक्विटी में निवेश, खाद्यान्न की खरीद, सिंचाई एवं सड़कें शामिल हैं तथा सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत पूंजीगत व्यय मुख्य रूप से जल आपूर्ति और शहरी विकास पर था गत वर्ष की तुलना में खाद्यान्न की खरीद पर पूंजीगत व्यय में प्रमुख वृद्धि *तालिका 2.23* में दी गई है।

तालिका 2.23: 2018-19 की तुलना में 2019-20 के दौरान पूंजीगत व्यय में बदलाव

(₹ करोड़ में)

प्रमुख लेखा शीर्ष	2018-19	2019-20	वृद्धि (+)/कमी (-)
पूंजीगत व्यय	15,306.60	17,665.93	2,359.33
सामान्य सेवाएं	714.56	586.16	(-) 128.40
सामाजिक सेवाएं	3,804.65	3,233.56	(-) 571.09
आर्थिक सेवाएं	10,787.39	13,846.21	3,058.82
खाद्य, भंडार एवं भंडारण*	1,669.51	4,402.31	2,732.80
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,274.38	1,400.82	126.44
ऊर्जा	5,500.25	5,829.63	329.38
सड़कें एवं पुल	1,603.77	1,800.07	196.30

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख

* भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्न और दालों की खरीद की गतिविधियों के लिए इस प्रमुख शीर्ष के अंतर्गत किया गया व्यय राज्य सरकार द्वारा एफ.सी.आई. से वसूलनीय है।

2.4.3.2 पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता

(i) निवेश एवं प्रतिलाभ

31 मार्च 2020 तक सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों और सहकारिताओं में ₹ 36,922.92 करोड़ निवेशित थे (*तालिका 2.24*)। पिछले पांच वर्षों में इन निवेशों पर औसत प्रतिलाभ 0.136 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2015-20 के दौरान अपने उधारों पर 8.37 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर भुगतान किया।

तालिका 2.24: निवेशों पर प्रतिलाभ

निवेश/प्रतिलाभ/उधारों की लागत	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	9,372.44	11,371.42	17,374.35	30,747.91	36,922.92
प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)	15.89	5.89	7.53	56.60	87.01
प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.17	0.05	0.04	0.18	0.24
सरकारी उधारों पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	8.64	8.00	8.10	8.81	8.31
ब्याज दर और प्रतिलाभ के बीच अन्तर (प्रतिशत)	8.47	7.95	8.06	8.63	8.07
सरकारी उधारों पर ब्याज और निवेश पर प्रतिलाभ में अंत (₹ करोड़ में)	793.85	904.03	1,400.37	2,653.54	2,979.68

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे (विवरण संख्या 19)

₹ 36,922.92 करोड़ के कुल निवेश में से ₹ 35,452.96 करोड़ (96 प्रतिशत) का निवेश चार विद्युत क्षेत्र की कंपनियों में किया गया था। राज्य सरकार घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों में निवेश करती रहती है।

(ii) कंपनियों, निगमों एवं अन्य निकायों में निवेशों की गुणवत्ता

कंपनियों, निगमों एवं अन्य निकायों, जो घाटे में चल रहे हैं या जहां निवल मूल्य का क्षरण हो रहा है, में पूंजीगत व्यय टिकाऊ नहीं है। राज्य सरकार ने 2019-20 के दौरान ₹ 6,175 करोड़ का निवेश किया जिसमें उदय के अंतर्गत ₹ 5,190 करोड़ के ऋणों को डिस्कांमज की इक्विटी में परिवर्तित करना शामिल है जैसा कि तालिका 2.25 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.25: घाटे में चल रही कंपनियों में किए गए निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सरकारी कंपनियां	निवेश	2019-20	निवेश	संचित हानि	लेखा वर्ष
		(2018-19 तक)	के दौरान निवेश	(2019-20 तक)		
(₹ करोड़ में)						
1.	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	44.72	2.50	47.22	13.61	2015-16
2.	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई (नलकूप) निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	10.89	0.00	10.89	354.28	2016-17
3.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2,889.09	51.75	2,940.84	48.53	2017-18
4.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	12,134.99	2,965.35	15,100.34	15,396.40	2019-20
5.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण लिमिटेड	10,741.51	2,545.53	13,287.04	13,581.49	2019-20
6.	हरियाणा वित्तीय निगम	202.01	0.00	202.01	113.51	2017-18
7.	हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड	0.24	0.00	0.24	5.17	2018-19
8.	हरियाणा पुलिस आवास निगम	25.00	0.00	25.00	1.07	2015-16
9.	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	2.54	0.00	2.54	121.85	2015-16
10.	हरियाणा चिकित्सा सेवाएं लिमिटेड	5.00	0.00	5.00	1.50	2014-15
11.	हरियाणा महिला विकास निगम	15.51	0.00	15.51	1.65	2016-17
कुल		26,071.50	5,565.13	31,636.63	29,639.06	

स्रोत: वित्त लेखा और कंपनियों के वार्षिक लेखे

ग्यारह सरकारी कंपनियां जिनमें कुल ₹ 31,636.63 करोड़ निवेशित थे, घाटे में चल रही थीं और इन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत लेखाओं के अनुसार उनकी संचित हानियां ₹ 29,639.06 करोड़ थीं। घाटे में चलने वाली 11 सरकारी कंपनियों में से तीन विद्युत उत्पादन एवं वितरण कंपनियों में ₹ 29,026.42 करोड़ की हानि सरकारी कंपनियों की कुल हानियों का 98 प्रतिशत थी।

वर्ष 2019-20 के दौरान कुल ₹ 6,175 करोड़ के निवेश में से राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 के दौरान घाटे में चल रही चार कंपनियों में ₹ 5,565.13 करोड़ का निवेश किया। राज्य सरकार द्वारा भारी नुकसान उठा रहे राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के कामकाज की समीक्षा करने पर विचार करना चाहिए तथा उनके पुनरुद्धार या बंद करने, जैसा भी उचित हो, के लिए रणनीतिक योजना बनानी चाहिए।

(iii) निवल मूल्य का क्षरण

निवल मूल्य से तात्पर्य प्रदत्त पूंजी, मुक्त आरक्षित एवं संचित घाटा और आस्थगित राजस्व व्यय से घटाए गए आधिक्य की कुल राशि से है। अनिवार्य रूप से, यह एक उपाय है कि मालिकों के लिए एक इकाई का मूल्य क्या है। एक ऋणात्मक निवल मूल्य इंगित करता है कि संचित घाटे के कारण मालिकों के पूरे निवेश का क्षरण हो चुका है। 31 मार्च 2020 तक घाटा उठाने वाली 11 कंपनियों का कुल संचित घाटा, ₹ 31,636.63 करोड़ के पूंजीगत निवेश के विरुद्ध ₹ 29,639.06 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप निवेशों में ₹ 1,997.57 करोड़ के निवल मूल्य का क्षरण हुआ। इसमें से, घाटा उठाने वाले तीन डिस्कॉम में ₹ 31,328.22 करोड़ के पूंजीगत निवेश के विरुद्ध कुल संचित घाटा ₹ 29,026.42 करोड़ था, इस प्रकार ₹ 2,301.80 करोड़ के निवल मूल्य का क्षरण हुआ।

(iv) कंपनियों के लेखों के साथ सरकारी निवेशों का मिलान

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) में इक्विटी के रूप में सरकारी निवेश का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आंकड़ों से मिलान होना चाहिए। सा.क्षे.उ. के लेखों और वित्त लेखों में अंतर का पता लगाने के लिए आंकड़ों का मिलान आवश्यक है। दोनों लेखों की संवीक्षा से पता चला कि वित्त लेखों के अनुसार, 22 सा.क्षे.उ. की इक्विटी में सरकारी निवेश ₹ 27,813.18 करोड़ था जबकि सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार यह ₹ 36,070.27 करोड़ था। **परिशिष्ट 2.4** में वर्णित अनुसार ₹ 8,257.09 करोड़ का अंतर था। अंतरों का पता लगाने के लिए समयबद्ध तरीके से मिलान किया जाना चाहिए।

(v) उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) का कार्यान्वयन

भारत सरकार ने विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉमज) के वित्तीय बदलाव के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) आरंभ (नवंबर 2015) की थी। यह डिस्कॉमज को सस्ती दरों पर पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने के लिए वित्तीय और परिचालन रूप से सक्षम बनाने हेतु एक पुनरुद्धार पैकेज था। विद्युत मंत्रालय (वि.मं.), हरियाणा सरकार (ह.स.) तथा राज्य के डिस्कॉमज (अर्थात् उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड) के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता जापन (स.जा.) पर हस्ताक्षर (मार्च 2016) किए गए। उदय योजना तथा त्रिपक्षीय समझौता जापन के प्रावधानों के अनुसार, हरियाणा में 30 सितंबर 2015 तक दो डिस्कॉमज से संबंधित ₹ 34,600 करोड़ के कुल ऋण में से, हरियाणा सरकार द्वारा कुल ऋण का 75 प्रतिशत अर्थात् ₹ 25,950 करोड़ का अधिग्रहण किया जाना था। **तालिका 2.26** में दर्शाए अनुसार उदय योजना के कार्यान्वयन की परिकल्पना की गई थी।

तालिका 2.26: उदय योजना का कार्यान्वयन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अधिगृहीत किया जाने वाला कुल कर्ज	अनुदान के रूप में डिस्कॉमज को हस्तांतरण	ऋण के रूप में डिस्कॉमज को हस्तांतरण	इक्विटी के रूप में डिस्कॉमज को हस्तांतरण
2015-16	17,300	3,892.50	12,110	1,297.50
2016-17	8,650	3,892.50	3,460	1,297.50
कुल (क)	25,950	7,785.00	15,570	2,595.00
₹ 34,600 करोड़ के कुल कर्ज की प्रतिशतता	75 प्रतिशत	22.50 प्रतिशत	45 प्रतिशत	7.5 प्रतिशत

समझौता जापन के अनुसार, सरकार ने 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान डिस्कॉमज को ₹ 7,785 करोड़ के अनुदान (₹ 3,892.50 करोड़ प्रत्येक वर्ष), ₹ 2,595 करोड़ की इक्विटी (₹ 1,297.50 करोड़ प्रत्येक वर्ष) तथा शेष ₹ 15,570 करोड़ को ऋण के रूप में प्रदान किया। 2017-18 से 2019-20 के दौरान ₹ 15,570 करोड़ के ऋणों को ₹ 11,677.50 करोड़ (75 प्रतिशत) के अनुदान और ₹ 3,892.50 करोड़ (25 प्रतिशत) की इक्विटी में परिवर्तित किया जाना था। तथापि, राज्य सरकार ने अधिगृहीत कुल ऋणों को **तालिका 2.27** में दर्शाए अनुसार इक्विटी में परिवर्तित कर दिया।

तालिका 2.27: हरियाणा राज्य में उदय योजना का कार्यान्वयन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल	अनुदान	ऋण	इक्विटी
2015-16	17,300.00	3,892.50	12,110.00	1,297.50
2016-17	8,650.00	3,892.50	3,460.00	1,297.50
कुल	25,950.00	7,785.00	15,570.00	2,595.00
2017-18	-		(-) 5,190.00	5,190.00
2018-19	-	(-) 7,785.00	(-) 5,190.00	12,975.00
2019-20	-		(-) 5,190.00	5,190.00
कुल (31 मार्च 2020 तक)				25,950.00

योजना के कार्यान्वयन के बाद दो डिस्कॉमज के वित्तीय परिणाम **तालिका 2.28** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.28: 2015-20 के दौरान डिस्कॉम के वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

डिस्कॉम का नाम	लाभ (+)/हानि (-)		उदय के कार्यान्वयन के बाद लाभ (+)/हानि (-)		
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	(-) 336.37	(-) 205.01	278.24	185.71	217.72
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	(-) 471.58	11.96	134.12	95.23	113.67
कुल	(-) 807.95	(-) 193.05	412.36	280.94	331.39

स्रोत: डिस्कॉमज के वार्षिक लेखे

यह देखा गया कि राज्य सरकार ने समझौता जापन के प्रावधानों और योजना अधिसूचना का पालन नहीं किया। 2017-18 से 2018-20 की अवधि के दौरान, ₹ 15,570 करोड़ के ऋण को अनुदान (₹ 11,677.50 करोड़) और इक्विटी (₹ 3,892.50 करोड़) के बजाय पूरी तरह से इक्विटी के रूप में परिवर्तित किया गया था। इसके अतिरिक्त, पुनःविनियोजन आदेश के माध्यम से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ 2018-19 के दौरान ₹ 7,785 करोड़ के अनुदान को इक्विटी में परिवर्तित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार और डिस्कॉम के लेखों के मध्य

निवेशित राशि में ₹ 7,785 करोड़ की राशि का अंतर था। यह तर्क दिया गया है कि जारी किया गया पुनर्विनियोजन आदेश:

- (i) पंजाब बजट नियमावली पैरा 15.2, उप-पैरा (ख) के प्रावधानों के विपरीत है, जिसमें बताया गया है कि "उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित निधियों से कोई पुनर्विनियोजन नहीं किया जाना चाहिए।"
- (ii) व्यय को सहायता अनुदान से इक्विटी में बदलने से राजस्व व्यय से पूंजीगत व्यय में वर्गीकरण में परिवर्तन हुआ।

इस प्रकार, ₹ 11,677.50 करोड़ (2017-18 से 2019-20 तक तीन वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष ₹ 3,892.50 करोड़) के ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करना उदय योजना के त्रिपक्षीय समझौता जापन के विरुद्ध था और इसके परिणामस्वरूप तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष राजस्व व्यय को कम तथा पूंजीगत व्यय को अधिक बताया गया। इसके परिणामस्वरूप राजस्व घाटा को भी कम बताया गया।

(vi) सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य की संसाधन उपलब्धता

मूलभूत संरचना में पर्याप्त विकास करने के विचार से सामाजिक और भौतिक, जो आर्थिक उन्नति बनाए रखने के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है, राज्य सरकार ने मूलभूत संरचना के विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (सा.नि.भा.) माध्यम को अपनाया।

31 मार्च 2020 तक, ₹ 7,848.56 करोड़ की कुल अनुमानित लागत वाली कुल 13 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन थीं जैसा कि **परिशिष्ट 2.5** में दर्शाया गया है।

(vii) राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों तथा कंपनियों में निवेश के अतिरिक्त सरकार द्वारा अनेक संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान किए गए थे। **तालिका 2.29** 31 मार्च 2020 तक बकाया ऋणों एवं अग्रिमों और पिछले पांच वर्षों के दौरान ब्याज भुगतानों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.29: पांच वर्षों के दौरान ऋणों की संवितरित एवं वसूल की गई मात्रा

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
बकाया ऋणों का आरंभिक शेष	4,572	17,494	21,036	16,090	11,474
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	13,250	4,515	1,395	756	1,309
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	328	973	6,341	5,372	5,393
बकाया ऋणों का अंतिम शेष	17,494	21,036	16,090	11,474	7,390
निवल जोड़	12,922	3,542	(-) 4,946	(-) 4,616	(-) 4,084
प्राप्त ब्याज	47	1,213	1,163	720	398
सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज दर	0.43	6.30	6.27	5.22	4.22
सरकार की बकाया उधारी पर भुगतान की गई ब्याज दर	7.92	7.89	7.71	7.78	7.80
भुगतान की गई ब्याज दर और प्राप्त ब्याज के मध्य अंतर (प्रतिशत)	7.49	1.59	1.44	2.56	3.58

वर्ष के दौरान ₹ 5,190 करोड़ के डिस्कॉम ऋणों को इक्विटी में परिवर्तित करने के कारण 31 मार्च 2020 तक बकाया ऋणों एवं अग्रिमों में 35.59 प्रतिशत की गिरावट आई। सहकारी चीनी मिलों के विरुद्ध वर्ष 2019-20 के प्रारंभ में ₹ 2,647.86 करोड़ की राशि के ऋण बकाया थे। इसके अतिरिक्त, इन चीनी मिलों को कुल ₹ 770.82 करोड़ के ऋण दिए गए थे। वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 420.63⁸ करोड़ के तीन नए ऋण दिए गए थे। राज्य सरकार ने 2019-20 के दौरान ₹ 398 करोड़ (बकाया ऋणों एवं अग्रिमों का 4.22 प्रतिशत) का ब्याज प्राप्त किया।

(viii) अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी

अपूर्ण पूंजीगत कार्यों में अवरुद्ध पूंजी में प्रवृत्तियों का आकलन भी पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता को इंगित करेगा। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर निधियों का अवरुद्ध, व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और राज्य को लंबे समय तक वांछित लाभ से वंचित करता है। आगे, संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उधार ली गई निधियां ऋण एवं ब्याज देयताओं की अदायगी के मामले में अतिरिक्त बोझ डालती हैं।

31 मार्च 2020 को अपूर्ण परियोजनाओं से संबंधित विभागवार सूचना **तालिका 2.30** में दी गई है। अपूर्ण परियोजनाओं के अंतर्गत केवल वे परियोजनाएं सम्मिलित की गई हैं जिनकी पूर्ण करने की निर्धारित समयावधि 31 मार्च 2020 तक समाप्त हो चुकी थी।

तालिका 2.30: 31 मार्च 2020 को अधूरी परियोजनाओं की विभागवार रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	व्यय (₹ करोड़ में)
सिंचाई एवं जल संसाधन	3	29.64	19.00
लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)	23	417.60	202.57
कुल	26	447.24	221.57

स्रोत: वित्त लेखे

विभागों की 26 परियोजनाओं के पूर्ण करने की निर्धारित समयावधि दिसंबर 2017 और मार्च 2020 के मध्य थीं, परन्तु ये परियोजनाएं 31 मार्च 2020 तक अपूर्ण थीं, परिणामस्वरूप ₹ 221.57 करोड़ के निवेश से वांछित लाभों की प्राप्ति नहीं हुई। परियोजनाओं के पूरा होने में देरी के कारण न केवल व्यय की गुणवत्ता प्रभावित हुई बल्कि राज्य को अपेक्षित लाभ और आर्थिक विकास से भी वंचित कर दिया।

2.4.4 व्यय प्राथमिकताएं

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर व्यय बढ़ाने की आवश्यकता है। कम राजकोषीय प्राथमिकता (एक श्रेणी के अंतर्गत

⁸ विद्युत् परियोजनाओं के लिए ऋण - प्रसारण एवं वितरण: ₹ 160.63 करोड़, गन्ना किसानों को भुगतान करने के लिए निजी चीनी मिलों को वित्तीय सहायता: ₹ 160 करोड़ तथा हरियाणा राज्य कृषि एवं ग्रामीण बैंक को ऋण: ₹ 100 करोड़।

कुल व्यय के लिए व्यय का अनुपात) एक विशेष क्षेत्र से जुड़ी है, यदि आवंटन संबंधित राष्ट्रीय औसत से नीचे है। कुल व्यय में इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होगा, व्यय की गुणवत्ता को भी उतना ही बेहतर माना जाएगा। 2019-20 के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा और पूंजीगत व्यय के संबंध में राज्य की व्यय प्राथमिकता का विश्लेषण **तालिका 2.31** में किया गया है।


तालिका 2.31: स्वास्थ्य, शिक्षा और पूंजीगत व्यय के संबंध में राज्य की व्यय प्राथमिकता

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	कुल व्यय/ स.उ.घ.रा.	पूंजीगत व्यय/ कुल व्यय	शिक्षा/ कुल व्यय	स्वास्थ्य/ कुल व्यय
हरियाणा का औसत (अनुपात) 2015-16	16.02	8.70	12.74	3.18
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2015-16	16.97	14.81	15.68	4.79
हरियाणा का औसत (अनुपात) 2019-20	12.48	17.02	14.32	4.80
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2019-20	15.15	12.97	15.91	5.21
कु.व्य: कुल व्यय: पूं.व्य: पूंजीगत व्यय स.रा.घ.उ. का स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा				

हरियाणा में स.रा.घ.उ. के अनुपात के रूप में कुल व्यय 2019-20 में सामान्य श्रेणी राज्यों की औसत की तुलना में कम है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय का अनुपात हरियाणा में 2015-16 के साथ-साथ 2019-20 के दौरान भी सामान्य श्रेणी राज्यों की औसत से कम था। मुख्य रूप से डिस्कॉमज ऋणों को इक्विटी में बदलने के कारण 2019-20 में कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अनुपात अधिक था।

2.4.5 प्रयोजन शीर्ष-वार व्यय

प्रयोजन शीर्ष-वार व्यय, व्यय के प्रयोजन/उद्देश्य के बारे में जानकारी **चार्ट 2.13** में दर्शाई गई है।



नोट: वी.एल.सी. डाटा से प्राप्त प्रयोजन शीर्ष-वार व्यय में सभी प्रमुख शीर्षों में वेतन, ब्याज और पेंशन पर प्रयोजन शीर्ष-वार व्यय होता है जो इन मदों पर प्रतिबद्ध व्यय से भिन्न होता है (जैसा कि पैरा 2.4.2.2 में दिखाई देता है)।

2.5 लोक लेखा

कुछ प्राप्तियां एवं संवितरण, जो समेकित निधि का अंश नहीं होते, जैसे कि लघु बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमा, उंचंत, प्रेषण इत्यादि को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अनुसार लोक लेखा के अंतर्गत रखा जाता है तथा ये राज्य विधानसभा द्वारा वोट के अधीन नहीं है। इनके संबंध में सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के बाद शेष राशि विभिन्न प्रयोजनों हेतु उपयोग के लिए सरकार के पास उपलब्ध रहती है।

2.5.1 निवल लोक लेखा शेष


लोक लेखा के विभिन्न खंडों के अंतर्गत घटक-वार निवल शेष **तालिका 2.32** और **चार्ट 2.14** में दिए गए हैं।

तालिका 2.32: 31 मार्च 2020 को लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप-क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
आई. लघु बचतें, भविष्य निधि	लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	12,206.32	13,321.20	14,547.52	15,715.23	16,962.46
जे. आरक्षित निधियां	(क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां	769.77	2,045.23	2,593.33	3,086.92	4,962.35
	(ख) गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियां	2,392.94	2,662.21	2,933.75	3,228.68	3,532.00
	कुल	3,162.71	4,707.44	5,527.08	6,315.60	8,494.35
के. जमा और अग्रिम	(क) ब्याज वाली जमा	363.77	397.00	379.13	403.41	421.76
	(ख) गैर-ब्याज वाली जमा	6,051.83	6,016.48	6,687.90	8,001.14	7,500.04
	(ग) अग्रिम	(-) 0.72	(-) 0.72	(-) 0.72	(-) 0.74	(-) 0.74
	कुल	6,414.88	6,412.76	7,066.31	8,403.81	7,921.06
एल. उंचंत तथा विविध	उंचंत तथा विविध	(-) 175.97	(-) 59.15	(-) 10.80	(-) 57.23	(-) 70.49
एम. प्रेषण	(क) मनी ऑर्डर और अन्य प्रेषण	137.28	199.55	180.34	343.72	306.84
	(ख) अंतर-राजकीय समायोजन लेखा	(-) 13.08	(-) 17.69	(-) 23.57	(-) 16.24	(-) 33.10
	कुल	124.20	181.86	156.77	327.48	273.74
कुल योग		21,732.14	24,564.11	27,286.88	30,704.89	33,581.12


स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

मुख्य रूप से लघु बचत, भविष्य निधि, आदि (₹ 1,247 करोड़), आरक्षित निधि (₹ 2,179 करोड़) में वृद्धि को जमा (₹ 482.75 करोड़), प्रेषण (₹ 53.74 करोड़) में कमी द्वारा संतुलित करते हुए निवल लोक लेखा शेषों में गत वर्ष की तुलना में 2019-20 में 9.37 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार निवल लोक लेखा शेष की पड़ोसी राज्यों से तुलना चार्ट 2.15 में दी गई है। तुलना से पता चलता है कि हरियाणा के लोक लेखा शेष ₹ 33,581 करोड़ के विरुद्ध पंजाब में ₹ 33,745 करोड़ तथा हिमाचल प्रदेश में ₹ 19,933 करोड़ की शेष राशि थी।



2.5.2 आरक्षित निधियां

वित्त लेखों की विवरणी 21 और 22 में आरक्षित निधियों का विवरण उपलब्ध है। विशिष्ट प्रयोजनों के लिए दस आरक्षित निधियां (पांच ब्याज वाली आरक्षित निधियां और पांच गैर-ब्याज

वाली आरक्षित निधियां) रखी गई थीं। ब्याज वाली आरक्षित निधियों की शेष राशि पर ब्याज का भुगतान, यदि इसे निवेश न किया जाए, सरकार द्वारा किया जाता है जबकि गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियों के संबंध में शेष राशि का निवेश भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर के केंद्रीय लेखा अनुभाग के प्रशासन के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेजरी बिलों में किया जाता है। 31 मार्च 2020 को विभिन्न आरक्षित निधियों (ब्याज वाली और गैर-ब्याज वाली) में पड़े निधि शेष **तालिका 2.33** में दिए गए हैं।

तालिका 2.33: आरक्षित निधि के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	आरक्षित निधि का नाम	31 मार्च 2020 को शेष
क	ब्याज वाली आरक्षित निधियां	4,962.36
1	मूल्यहास आरक्षित निधि-मोटर परिवहन	490.94
2	मूल्यहास आरक्षित निधि-सरकारी प्रैस	12.28
3	आरक्षित निधि-मोटर परिवहन दुर्घटना आरक्षित निधि	3.77
4	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	3,172.72
5	राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि	1,282.65
ख	गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियां	3,532.00
1	ऋणशोधन निधि	2,084.06
2	खदान एवं खनिज विकास, पुनरुद्धार एवं पुनर्वास निधि	220.43
3	विकास योजनाओं के लिए निधि	1.41
4	हरिजन उत्थान हेतु ग्राम पुनर्निर्माण के लिए निधि	2.29
5	गारंटी मोचन निधि	1,223.81
	कुल योग	8,494.36

उपर्युक्त में से, गैर-ब्याज वाली दो आरक्षित निधियां, अर्थात् विकास योजनाओं के लिए निधि और हरिजन उत्थान के लिए ग्राम पुनर्निर्माण हेतु निधि पिछले पांच वर्षों से निष्क्रिय हैं। राज्य सरकार को अभी इन निष्क्रिय आरक्षित निधियों को बंद करना है और राज्य की समेकित निधि में उनके शेष को हस्तांतरित करना है।

2.5.2.1 समेकित ऋणशोधन निधि

हरियाणा राज्य सरकार ने बाजार ऋणों के मोचन के लिए 2002 में समेकित ऋणशोधन निधि (स.ऋ.नि.) का गठन किया। दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकार को गत वर्ष के बाजार ऋण के अंतिम शेष का एक से तीन प्रतिशत निधि में अंशदान करना था।

राज्य सरकार ने 2019-20 के दौरान कोई अंशदान नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1,149.90 करोड़ का कम अंशदान हुआ (31 मार्च 2019 तक ₹ 1,14,989.59 करोड़ के बकाया बाजार ऋण का एक प्रतिशत)।

1 अप्रैल 2019 तक निधि के अंतर्गत शेष राशि ₹ 1,926.17 करोड़ थी। वर्ष के दौरान निधि निवेशित रही और ₹ 157.89 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया था। कोई संवितरण नहीं किया गया था और निधि को ₹ 2,084.06 करोड़ पर बंद कर दिया गया था, जिसमें से ₹ 2,081.93 करोड़ का निवेश किया गया था।

2.5.2.2 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

राज्य सरकार ने 2010-11 में आपदा राहत निधि को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (रा.आ.प्र.नि.) में बदल दिया। निधि के दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्र और राज्यों को 75:25 के अनुपात में निधि में अंशदान करना अपेक्षित है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 28 सितंबर 2010 और 30 जुलाई 2015 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, निधि के प्रबंधन के लिए गठित राज्य कार्यकारी समिति (रा.का.स.) की सिफारिशों के अनुसार निधि शेषों का निवेश करना अपेक्षित है।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में ₹ 2,616.12 करोड़ का आरंभिक शेष था। 2019-20 के दौरान, केंद्र सरकार ने ₹ 227.10 करोड़ (2018-19 के दौरान अधिक जारी ₹ 53.40 करोड़ की कटौती के बाद 2019-20 के लिए केंद्रीय अंश की पहली और दूसरी किश्त) जारी किया। भारत सरकार द्वारा जारी ₹ 227.10 करोड़ की तुलना में राज्य का अंश ₹ 146.90 करोड़ (गत वर्ष के अंश सहित) था। राज्य सरकार ने निधि में ₹ 599.16 करोड़ की राशि हस्तांतरित की जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी राशि, राज्य का अंश, ₹ 25.16 करोड़ का अव्ययित शेष और ₹ 200 करोड़ का ब्याज शामिल है। वर्ष के दौरान निधि से ₹ 42.56 करोड़ का व्यय किया गया था। 31 मार्च 2020 को निधि में ₹ 3,172.72 करोड़ का शेष था।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के गठन और प्रशासन पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 18 के अनुसार, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से बाहर के निवेश रा.का.स. के निर्णय के अनुसार किए जाने थे। हालांकि, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में राज्य सरकार द्वारा कोई राशि निवेशित नहीं की गई थी।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का उपयोग केवल प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए। **तालिका 2.34** में दिए गए विवरण के अनुसार, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को ₹ 42.56 करोड़ का व्यय प्रभारित किया गया था।

तालिका 2.34: राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को प्रभारित व्यय का विवरण

प्रमुख लेखा शीर्ष	लघु लेखा शीर्ष	2019-20 के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)
2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, 02-खाद्य पदार्थ, चक्रवात आदि	101-निःशुल्क राहत	37.94
	111-पीड़ित परिवारों को अनुग्रहपूर्वक भुगतान	0.14
	113-सदनों की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता	0.07
	117-पशुधन की खरीद के लिए किसानों को सहायता	0.01
	282-जन स्वास्थ्य	8.36
	800-अन्य	0.04
	उप-कुल	46.56
2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, 80-सामान्य	800-अन्य व्यय	22.46
	उप-कुल	22.46
	कुल योग	69.02
05-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	901-कटौती-राज्य आपदा से मिली राशि	42.56
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को प्रभारित व्यय (राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि दिशानिर्देशों के अंतर्गत स्वीकार्य व्यय)		37.94

2.5.2.3 गारंटी मोचन निधि

राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्थानीय निकायों की ओर से जारी गारंटियों से उत्पन्न दायित्वों को पूरा करने के लिए 2003 में गारंटी मोचन निधि (गा.मो.नि.) का गठन किया। निधि के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार को निधि में सरकार द्वारा एकत्रित गारंटी फीस और सरकार द्वारा अनुमानित वार्षिक या यथा आवश्यक अंशदान को हस्तांतरित करना अपेक्षित है। इस निधि का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। 31 मार्च 2019 को सरकार की बकाया गारंटियां ₹ 18,219.87 करोड़ थीं। 2013 के भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों में वर्ष के आरंभ में बकाया राशि के न्यूनतम एक प्रतिशत अंशदान और उसके बाद गत वर्ष की बकाया गारंटी के न्यूनतम तीन से पांच प्रतिशत के कोष को प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम 0.5 प्रतिशत को इंगित किया गया है।

निधि के अंतर्गत शेष राशि ₹ 1,223.81 करोड़ (जो ₹ 18,219.87 करोड़ की बकाया गारंटी का 6.72 प्रतिशत है) थी जो निवेशित थी।

2.5.2.4 खदान एवं खनिज विकास, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि

इस निधि की स्थापना (जुलाई 2015) राज्य में खनन क्षेत्र के पर्यावरण की दृष्टि से सतत विकास, सुरक्षा, संरक्षण, राज्य के खनन स्थलों के पुनर्वास एवं पुनरूद्धार के साथ-साथ क्षेत्र की पारिस्थितिकी और पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के समग्र हित में अन्य संबंधित कार्यों के लिए की गई थी। यद्यपि निधि को 'ब्याज रहित आरक्षित निधि' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, इस पर छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज देय रहता है।

निधि के संविधान के अनुसार, राज्य को भुगतान की गई 'डेड रेंट/रॉयल्टी/संविदा धन' के 10 प्रतिशत के बराबर राशि को पुनर्स्थापना और पुनर्वास कार्यों के लिए 'अन्य प्रभारों' के तौर पर खनिज रियायत धारकों से प्रभारित किया जाना और निधि में जमा किया जाना है। इसके साथ ही, एक वित्तीय वर्ष में 'डेड रेंट/रॉयल्टी/संविदा धन' के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त राशि के पांच प्रतिशत के बराबर राशि को निधि में सरकारी अंशदान के रूप में जमा/हस्तांतरित किया जाना है।

1 अप्रैल 2019 को निधि में ₹ 170.52 करोड़ का शेष था। वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने डेड रेंट आदि के रूप में ₹ 582.33 करोड़ की राशि और रियायत धारकों से 'अन्य प्रभारों' के रूप में ₹ 46.84 करोड़ की राशि प्राप्त की। ₹ 87.35 करोड़ की राशि (रियायत धारकों का अंशदान: ₹ 58.23 करोड़ अर्थात् डेड रेंट का 10 प्रतिशत जमा राज्य का अंश: ₹ 29.12 करोड़ अर्थात् ₹ 582.33 करोड़ के डेड रेंट का पांच प्रतिशत) का अंशदान निधि में किया जाना अपेक्षित था। हालांकि, वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 85.50 करोड़ (राज्य का अंशदान: ₹ 32.92 करोड़ और रियायत धारकों का अंशदान: ₹ 52.58 करोड़) की राशि का अंशदान दिया। इस प्रकार ₹ 1.85 करोड़ का कम अंशदान था। राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान निधि में शेष राशि पर ब्याज की अनुमति नहीं दी है, जिससे ₹ 10.23 करोड़ की सीमा (₹ 170.52 करोड़ का छः प्रतिशत) तक ब्याज के कारण निधि में कम अंशदान हुआ। वर्ष के दौरान निधि से ₹ 35.59 करोड़ का व्यय

वहन किया गया था, जिससे 31 मार्च 2020 को निधि में ₹ 220.43 करोड़ का शेष रह गया।


2.5.2.5 राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि

पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 5-1/2009-एफ.सी. दिनांक 28 अप्रैल 2009 द्वारा जारी अनुदेशों तथा 2 जुलाई 2009 के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, राज्य सरकारों द्वारा राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण स्थापित किया जाना चाहिए, जो प्राप्त राशि का प्रबंधन करेगा और प्रतिपूरक वनीकरण, सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन, वनों का संरक्षण एवं सुरक्षा, आधारभूत संरचना का विकास, वन्यजीव संरक्षण एवं सुरक्षा तथा अन्य संबंधित गतिविधियों और इसके साथ जुड़े मामलों के लिए एकत्र राशि का उपयोग करेगा। प्राधिकरण इस प्रयोजन के लिए राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि की स्थापना करेगा। यह ब्याज वाली आरक्षित निधि है, जिसका निवेश किया जाना अपेक्षित है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 1,282.65 करोड़ प्राप्त किए, जो कि राज्य के प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण निधि का अंश है, जिसे राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण जमा से निधि में प्राप्त किया गया। राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान कोई ब्याज नहीं दिया। निधि से कोई व्यय नहीं किया गया था।

2.6 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन, अपेक्षित धनराशि जुटाने, इसके जोखिम एवं लागत उद्देश्यों को प्राप्त करने, तथा सरकार द्वारा अधिनियम के माध्यम से नियत या किन्हीं अन्य वार्षिक बजट घोषणाओं के माध्यम से किसी भी अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार के ऋण के प्रबंधन हेतु एक रणनीति स्थापित करने और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है। हरियाणा में 2015-20 के दौरान बकाया ऋण का विवरण चार्ट 2.16 में दिया गया है।



2.6.1 ऋण प्रोफाइल: घटक


राज्य सरकार के कुल ऋणों में आम तौर पर राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां और वित्तीय संस्थाओं से ऋण, आदि), केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम और लोक लेखा देयताएं होती हैं। 2019-20 के दौरान राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं को **चार्ट 2.17** में प्रस्तुत किया गया है। 2015-16 से प्रारंभ होकर पांच वर्षों की अवधि के लिए राज्य की घटक-वार ऋण प्रवृत्तियों को **तालिका 2.35** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.35: घटक वार ऋण प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)


राजकोषीय देयता के घटक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	
समग्र बकाया ऋण	1,20,718	1,46,371	1,64,076	1,84,216	2,15,562	
लोक ऋण	आंतरिक ऋण	99,660	1,22,617	1,37,813	1,54,968	1,83,786
	भारत सरकार से ऋण	2,049	1,986	1,941	1,867	1,705
लोक लेखा देयताएं	19,009	21,768	24,322	27,381	30,071	
बकाया समग्र ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	36.49	21.25	12.10	12.27	17.02	
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)	4,95,504	5,61,610	6,49,592	7,34,163	8,31,610	
ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	24.36	26.06	25.26	25.09	25.92	
लोक ऋण प्राप्तियां	37,998	28,170	21,490	34,265	44,432	
लोक ऋण पुनर्भुगतान	7,215	5,276	6,339	17,184	15,776	
उपलब्ध लोक ऋण	30,783	22,894	15,151	17,081	28,656	
लोक-ऋण पुनर्भुगतान/प्राप्तियां (प्रतिशत)	18.99	18.73	29.50	50.15	35.51	
निवल लोक लेखा प्राप्तियां	1,489	2,759	2,554	3,059	2,690	
उपलब्ध कुल ऋण	32,272	25,653	17,705	20,140	31,346	

चार्ट 2.17: 31 मार्च 2020 के अंत में समग्र बकाया ऋण का विघटन



राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 2015-16 में ₹ 1,20,718 करोड़ से 78.57 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर 2019-20 में ₹ 2,15,562 करोड़ हो गई, इसके मुख्य कारण आंतरिक ऋणों (₹ 84,126 करोड़) और लोक लेखा देयताओं (₹ 11,062 करोड़) में बढ़ोतरी थी। गत वर्ष के 12.27 प्रतिशत की तुलना में 2019-20 में समग्र राजकोषीय देयताओं में 17.02 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय देयताओं का अनुपात 2015-16 में 24.36 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 25.92 प्रतिशत हो गया। ये देयताएं राजस्व प्राप्तियों का 3.18 गुणा और राज्य के अपने संसाधनों का 4.29 गुणा थीं। यह देखना महत्वपूर्ण है कि ₹ 2,15,562 करोड़ की राजकोषीय देयताएं वर्ष 2019-20 में म.अ.रा.नी.वि. में प्रक्षेपित ₹ 1,79,412 करोड़ की सीमा से अधिक थीं।

स.रा.घ.उ. के अनुपात में राजकोषीय देयताएं 25.92 प्रतिशत थी जो 14वें वित्त आयोग के मानकीय निर्धारण 21.33 प्रतिशत से अधिक थी।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य सरकार का आंतरिक ऋण 2015-16 में ₹ 99,660 करोड़ से ₹ 84,126 करोड़ (84.41 प्रतिशत) बढ़कर 2019-20 में ₹ 1,83,786 करोड़ हो गया। चार्ट 2.18 में लिए गए की तुलना में पुनर्भुगतान किए गए आंतरिक ऋणों की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है। 2019-20 के दौरान आंतरिक ऋण पर ₹ 13,874 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया था।

राज्य सरकार के आंतरिक ऋणों में एक बड़ा भाग बाजार उधारी का है, जिसमें ब्याज दर 6.86 से 9.89 प्रतिशत के बीच है। 2019-20 में, ₹ 44,329 करोड़ की कुल आंतरिक ऋण प्राप्तियों में से ₹ 24,677 करोड़ का बाजार ऋण था। ₹ 15,512 करोड़ के कुल आंतरिक ऋण पुनर्भुगतान में से, बाजार ऋणों का पुनर्भुगतान ₹ 4,000 करोड़ था। 31 मार्च 2020 को बकाया बाजार उधारी ₹ 1,35,666 करोड़ थी। वर्ष के दौरान बाजार उधार की निवल वृद्धि 17.98 प्रतिशत (₹ 20,677 करोड़) थी।


राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति में संरचनागत बदलाव चार्ट 2.19 और तालिका 2.36 में दर्शाया गया है। 2018-19 के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के घटकों के अंतर्गत प्राप्तियां और संवितरण तालिका 2.37 में दिए गए हैं।

तालिका 2.36: राजकोषीय घाटे के घटक और इसकी वित्त पोषण पद्धति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजकोषीय घाटे की संरचना	(-) 31,479	(-) 26,285	(-) 19,114	(-) 21,912	(-)30,519
1 राजस्व घाटा	(-) 11,679	(-) 15,906	(-) 10,562	(-) 11,270	(-)16,990
2 निवल पूंजीगत व्यय	(-) 6,878	(-) 6,837	(-) 13,498	(-) 15,258	(-)17,612
3 निवल ऋण एवं अग्रिम	(-) 12,922	(-) 3,542	4,946	4,616	4,083
राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति					
1 बाजार उधार	13,168.29	15,358.98	15,839.49	17,970.00	20,676.85
2 भारत सरकार से ऋण	(-) 78.91	(-) 63.06	(-) 44.59	(-) 74.33	(-) 161.49
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	1,012.11	(-) 947.05	(-) 954.14	(-) 980.58	(-) 1,004.39
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	16,682.26	8,544.81	310.15	165.99	9,145.34
5 लघु बचत, भविष्य निधि आदि	1,048.64	1,114.88	1,226.32	1,167.71	1,247.23
6 आरक्षित निधि	70.72	1,646.31	673.72	553.47	1,925.34
7 जमा एवं अग्रिम	369.27	(-) 2.12	653.55	1,337.50	(-) 482.75
8 उचंत एवं विविध	(-) 1,583.19	1,734.84	518.78	1,296.28	(-) 1,623.60
9 प्रेषण	(-) 19.15	57.66	(-) 25.09	170.72	(-) 53.74
10 समग्र घाटा	30,670.04	27,445.25	18,198.19	21,606.76	29,668.79
11 रोकड़ शेष में वृद्धि/कमी	(+) 809.47	-1,160.13	916.30	304.99	849.83
12 सकल राजकोषीय घाटा	31,479.51	26,285.12	19,114.49	21,911.75	30,518.62

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे



तालिका 2.37: राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने वाले घटकों के अंतर्गत प्राप्तियां और संवितरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्राप्ति	संवितरण	निवल
1 बाजार उधार	24,676.85	4,000.00	20,676.85
2 भारत सरकार से ऋण	102.39	263.88	(-) 161.49
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	0.00	1,004.39	(-) 1,004.39
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	18,390.83	9,245.49	9,145.34
5 लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	3,670.12	2,422.89	1,247.23
6 जमा एवं अग्रिम	29,111.19	29,593.94	(-) 482.75
7 आरक्षित निधियां	2,317.15	391.81	1,925.34
8 उचंत और विविध	82,254.13	83,877.73	(-) 1,623.60
9 प्रेषण	8,919.27	8,973.01	(-) 53.74
10 समग्र आधिक्य (-) घाटा (+)	1,69,441.93	1,39,773.14	29,668.79
11 रोकड़ शेष में वृद्धि(+)/कमी(-)	क्रेडिट 794.56	क्रेडिट 1,644.39	849.83
12 सकल राजकोषीय घाटा	1,68,647.37	1,38,128.75	30,518.62


जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, 2015-20 के दौरान राजकोषीय घाटे को बड़े पैमाने पर लोक ऋण, जिसमें बाजार उधार, वित्तीय संस्थाओं से ऋण आदि शामिल हैं, के माध्यम से वित्तपोषित किया गया था।

2.6.2 ऋण प्रोफाइल: परिपक्वता और पुनर्भुगतान

लोक ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान प्रोफाइल सरकार की ऋण पुनर्भुगतान या ऋण सर्विसिंग की प्रतिबद्धता को इंगित करता है।

तालिका 2.38: लोक ऋण परिपक्वता प्रोफाइल


पुनर्भुगतान की अवधि (वर्ष)	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशतता (लोक ऋण के संबंध में)
0 - 1	12,134.95	7
1 - 3	29,668.65	16
3 - 5	38,851.39	21
5 - 7	39,126.56	21
7 एवं अधिक	65,825.07	35
कुल	1,85,606.62 ⁹	100



⁹ लोक ऋण के अंतर्गत परिपक्वता प्रोफाइल और शेष राशि के मध्य ₹ 115.57 करोड़ के अंतर का समाधान किया जा रहा है।

मार्च 2020 तक कुल बकाया लोक ऋण ₹ 1,85,606.62 करोड़ था। 31 मार्च 2020 को लोक ऋण की बकाया राशियों का परिपक्वता प्रोफाइल यह दर्शाता है कि कुल बकाया ऋण का 65 प्रतिशत (₹ 1,19,781.55 करोड़) सात वर्ष तक की अवधि में परिपक्व होने वाला है और शेष ₹ 65,825.07 करोड़ (35 प्रतिशत) सातवें वर्ष के बाद की अवधि में परिपक्व होगा जैसा कि **तालिका 2.38** और **चार्ट 2.20** में दर्शाया गया है।

ब्याज सहित बाजार ऋणों की पुनर्भुगतान अनुसूची **चार्ट 2.21** में दी गई है।



टिप्पणी: 31 मार्च 2020 तक बकाया ऋणों के लिए परिपक्वता प्रोफाइल विकसित किया गया है और ब्याज की गणना ऋण पूर्ण होने वाले वित्तीय वर्ष तक की गई है।

राज्य को बाजार ऋणों के लिए अगले तीन वित्तीय वर्षों में अर्थात् 2022-23 तक ₹ 20,137 करोड़ का पुनर्भुगतान और ₹ 30,598 करोड़ के ब्याज का भुगतान करना होगा। अगले दो वर्षों, 2024-25 तक, ₹ 23,546 करोड़ का मूलधन और ₹ 16,634 करोड़ का ब्याज देय होगा। अगले पांच वर्षों, 2024-25 तक, ऋण पुनर्भुगतान और ब्याज के रूप में लगभग ₹ 18,183 करोड़ का वार्षिक भुगतान करना होगा।

2025-26 से 2029-30 की अवधि में ₹ 68,560 करोड़ के ऋण और ₹ 22,002 करोड़ के ब्याज देय होंगे। इस प्रकार राज्य को 2025-26 से 2029-30 की अवधि के दौरान लगभग ₹ 18,112 करोड़ का प्रतिवर्ष पुनर्भुगतान करना होगा।

2.7 ऋण स्थिरता विश्लेषण

सरकार के ऋण के परिमाण के अतिरिक्त, विभिन्न मापदंडों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य की ऋण स्थिरता को निर्धारित करते हैं और भविष्य में अपने ऋण दायित्व को पूरा करने के लिए राज्य की क्षमता का आकलन करते हैं। यह खंड बकाया ऋणों की वृद्धि दर; ब्याज भुगतान तथा राजस्व प्राप्ति का अनुपात; ऋण पुनर्भुगतान तथा ऋण प्राप्ति; राज्य के लिए निवल ऋण की उपलब्धता की गणना से सरकार के ऋण की स्थिरता का आकलन करता है।

तालिका 2.39 में 2015-16 से पांच वर्ष की अवधि के लिए इन संकेतकों के आधार पर राज्य की ऋण स्थिरता का विश्लेषण किया गया है।

तालिका 2.39: ऋण स्थिरता संकेतकों की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)


ऋण स्थिरता संकेतक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
बकाया लोक ऋण*	1,01,709	1,24,603	1,39,754	1,56,835	1,85,491
बकाया लोक ऋण की वृद्धि की दर	43.40	22.51	12.16	12.22	18.27
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	4,95,504	5,61,610	6,49,592	7,34,163	8,31,610
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	13.35	13.34	15.67	13.02	13.27
लोक ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	20.53	22.19	21.51	21.36	22.31
राज्य ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता प्रोफाइल - डिफाल्ट इतिहास सहित, यदि कोई हो	3,189.78	2,382.11	2,561.93	5,054.18	5,840.63
बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	7.61	8.17	8.08	8.16	8.17
राजस्व प्राप्ति से ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	13.81	17.62	17.04	18.37	20.60
ऋण प्राप्ति से ऋण भुगतान की प्रतिशतता	18.99	18.73	29.50	50.15	35.50
राज्य के पास उपलब्ध निवल ऋण#	24,217.92	13,646.26	4,469.12	4,981.11	14,677.34
ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध निवल ऋण	63.73	48.44	20.80	14.54	33.03
ऋण स्थिरीकरण (प्रमात्रा प्रसार + प्राथमिक घाटा)	(-) 18,404.51	(-) 9,089.20	3,426.38	(-) 1,758.25	(-) 5,729.65

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

- * बकाया लोक ऋण, शीर्ष 6003-आंतरिक ऋण और 6004-केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत बकाया शेष राशि का योग है।
- # राज्य सरकार को उपलब्ध निवल ऋण की गणना लोक ऋण पुनर्भुगतान एवं लोक ऋण पर ब्याज भुगतान पर लोक ऋण प्राप्तियों की अधिकता के रूप में की जाती है।

ऋण स्थिरता के लिए एक अनिवार्य शर्त यह है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लोक ऋण की ब्याज दर से अधिक है, तो ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के स्थिर होने की संभावना है, बशर्ते कि प्रारंभिक शेष या तो शून्य या धनात्मक हो या मध्यम ऋणात्मक हो। इस प्रकार, यदि प्रमात्रा प्रसार के साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक हो जाता है, तो ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात बढ़ जाएगा।

हरियाणा में, प्रमात्रा प्रसार के साथ प्राथमिक घाटे के ऋणात्मक आंकड़े के कारण ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 2015-16 में 20.53 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 22.31 प्रतिशत हो गया। 2015-16 से आरंभ होने वाले पांच वर्षों की ऋण स्थिरता संकेतकों की प्रवृत्तियां चार्ट 2.22 में दर्शाई गई हैं।



2015-20 की अवधि के दौरान राज्य सरकार के लोक ऋण 82.37 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 2015-16 में ₹ 1,01,709 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 1,85,491 करोड़ हो गए। 2015-16 से 2019-20 की अवधि में वार्षिक वृद्धि दर 12.16 प्रतिशत और 43.40 प्रतिशत के मध्य रही जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 13.02 और 15.67 प्रतिशत के मध्य रही।

2.7.1 उधार ली गई निधियों का उपयोग

उधार ली गई निधियों का उपयोग आदर्श रूप से पूंजी सृजन और विकासात्मक गतिविधियों को निधि देने के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान खपत को पूरा करने और बकाया ऋणों पर ब्याज की अदायगी के लिए उधार ली गई धनराशि का उपयोग करना टिकाऊ नहीं है। 2015-20 की अवधि के दौरान पूर्ववर्ती उधारों के पुनर्भुगतान, पूंजीगत व्यय एवं राजस्व व्यय के लिए उधार ली गई निधियों के उपयोग का विवरण **तालिका 2.40** में दिया गया है।

तालिका 2.40: उधार ली गई निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल उधार	37,998.43	28,169.52	21,489.76	34,264.97	44,431.82
पूर्ववर्ती उधारों का पुनर्भुगतान (मूलधन) (प्रतिशतता)	7,214.68 (19)	5,275.84 (19)	6,338.85 (29)	17,183.87 (50)	15,775.51 (36)
निवल पूंजीगत व्यय (प्रतिशतता)*	6,878.35 (18)	6,836.83 (24)	8,308.03 (39)	10,067.59 (29)	12,421.92 (28)
निवल ऋण एवं अग्रिम#	12,922.01 (34)	3,541.68 (13)	243.96 (1)	573.74 (2)	1,106.62 (2)
उपलब्ध निवल उधार से किए गए राजस्व व्यय का भाग	10,983.39 (29)	12,515.17 (44)	6,598.92 (31)	6,439.77 (19)	15,127.77 (34)

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

कोष्ठक में कुल उधारों की राशि से प्रतिशतता इंगित की गई है।


* निवल पूंजीगत व्यय = कुल पूंजीगत व्यय - विविध पूंजीगत प्राप्तियां और 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान ₹ 5,190 करोड़ के ऋण के इक्विटी में रूपांतरण के प्रभाव को बाहर रखा गया है क्योंकि यह केवल पुस्तक समायोजन था और इसका उधार ली गई निधियों के वास्तविक उपयोग पर कोई प्रभाव नहीं है।

इसी प्रकार 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान ₹ 5,190 करोड़ के ऋणों को इक्विटी में रूपांतरण के प्रभाव को निवल ऋणों और अग्रिमों की गणना में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह केवल पुस्तक समायोजन था।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अतः राजस्व व्यय लिए भी सरकार उधार पर निर्भर रही। 2019-20 के दौरान, ₹ 15,128 करोड़ (कुल राजस्व व्यय का 18 प्रतिशत) का राजस्व व्यय उधार ली गई निधियों से पूरा किया गया था, जो उधार ली गई धनराशि का 34 प्रतिशत है।

इस प्रकार, 2015-16 से 2019-20 के दौरान 48 प्रतिशत तथा 70 प्रतिशत के मध्य उधार ली गई निधियों का उपयोग पूर्व के ऋणों के पुनर्भुगतान तथा राजस्व व्यय के लिए किया गया था। 2019-20 के दौरान, उधार ली गई निधियों का 70 प्रतिशत पूर्व के ऋणों के पुनर्भुगतान (36 प्रतिशत) तथा राजस्व व्यय (34 प्रतिशत) के लिए उपयोग किया गया था। इसलिए, उधार ली गई निधियों का उपयोग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए नहीं किया गया जो राज्य में विकास दिखा सकता था।

2015-20 की अवधि के दौरान उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति को **चार्ट 2.23** में दर्शाया गया है।




स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2.7.2 गारंटियों की स्थिति-आकस्मिक देयताएं

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां, ऋण लेने वाली संस्थाओं द्वारा ऋण वापस न करने की स्थिति में राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं। राज्य सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 293 की अनुपालना में राज्य की समेकित निधि की जमानत पर दी जाने वाली गारंटियों की एक सीमा तक निर्धारित करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया है।

वित्त लेखाओं की विवरणी 9 के अनुसार पिछले पांच वर्षों की बकाया गारंटियों और बकाया गारंटियों की कुल प्राप्तियों की स्थिति **चार्ट 2.24** और **2.25** में दी गई है।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2019-20 के दौरान सरकार द्वारा गारंटियों के विरुद्ध कोई राशि अदा नहीं की गई थी। 31 मार्च 2020 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों के संबंध में गारंटी फीस सहित बकाया गारंटियों का विवरण **तालिका 2.41** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.41: संस्थाओं को दी गई गारंटी फीस सहित बकाया गारंटियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों का नाम	गारंटी की संख्या	गारंटी फीस सहित बकाया गारंटी
1	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (ह.श.वि.प्रा.)	9	12,389.29
2	हरियाणा राज्य औद्योगिक मूलभूत संरचना विकास निगम	5	3,292.82
3	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	12	2,034.22
4	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	7	1,500.01
5	हरियाणा राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक	1	428.96
6	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2	421.78
7	हाउसिंग बोर्ड, हरियाणा	6	324.64
8	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	5	107.71
9	हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	1	81.02
10	नगर निगम, फरीदाबाद	2	74.08
11	हरियाणा राज्य भंडारण निगम	4	52.18
12	हरियाणा पावर जनरेशन लिमिटेड, पंचकुला	1	40.69
13	अन्य	3	22.29
	कुल	58	20,769.69

स्रोत: वर्ष 2019-20 के वित्त लेखे

31 मार्च 2020 तक गारंटी फीस सहित कुल बकाया गारंटी में से 92.52 प्रतिशत (₹ 19,216.34 करोड़) मुख्य रूप से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (₹ 12,389.29 करोड़), हरियाणा राज्य औद्योगिक मूलभूत संरचना विकास निगम (₹ 3,292.82 करोड़), उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 2,034.22 करोड़) और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (₹ 1,500.01 करोड़) के संबंध में बकाया थी।

2.7.3 रोकड़ शेष का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक समझौते के अनुसार, राज्य सरकारों को बैंक के पास न्यूनतम

दैनिक रोकड़ शेष बनाए रखना होता है। यदि किसी दिन शेष सहमत न्यूनतम से कम हो जाता है, तो समय-समय पर सामान्य अर्थोपाय अग्रिम (सा.अ.अ.) एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम (वि.अ.अ.)/ओवरड्राफ्ट (ओ.डी.) लेकर कमी को पूरा किया जाता है।

वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 के रोकड़ शेष और रोकड़ शेष के निवेश के तुलनात्मक आंकड़े तालिका 2.42 में दिए गए हैं।

तालिका 2.42: रोकड़ शेष और रोकड़ शेष के निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

	01 अप्रैल 2019 को आरंभिक शेष	31 मार्च 2020 को अंतिम शेष
क. सामान्य रोकड़ शेष		
भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा राशि	(-) 795.10	(-) 1,644.93
ट्रांजिट लोकल में प्रेषण	0.54	0.54
कुल	(-) 794.56	(-) 1,644.39
रोकड़ शेष निवेश लेखों में किया गया निवेश	721.57	2,332.87
कुल (क)	(-) 72.99	688.48
ख. अन्य रोकड़ शेष तथा निवेश		
विभागीय अधिकारियों जैसे कि लोक निर्माण, वन अधिकारियों के पास रोकड़	3.79	2.83
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थाई अग्रिम	0.12	0.12
चिह्नित निधियों में निवेश	3,054.63	3,308.04
कुल (ख)	3,058.54	3,310.99
कुल (क + ख)	2,985.55	3,999.47
वसूल किया गया ब्याज	91.54	76.54

स्रोत: वित्त लेख

तालिका 2.43: रोकड़ शेष निवेश लेखा (प्रमुख शीर्ष-8673)


(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि (+)/कमी (-)	अर्जित ब्याज
2015-16	2,571.52	4,173.12	1,601.60	186.49
2016-17	4,173.12	2,554.85	(-) 1,618.27	161.32
2017-18	2,554.85	2,084.53	(-) 470.32	94.89
2018-19	2,084.53	721.57	(-) 1,362.96	91.54
2019-20	721.57	2,332.87	1,611.30	76.54

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख

रोकड़ शेष में चिह्नित निधियों से ₹ 3,308.04 करोड़ का निवेश था। उक्त निवेश, जिसमें ऋण शोधन निधि निवेश खाता (₹ 2,081.93 करोड़) तथा गारंटी मोचन निधि निवेश खाता (₹ 1,223.81 करोड़) शामिल हैं, को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया था। वर्ष 2019-20 में सरकार 355 दिन के लिए ₹ 1.14 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष बनाए रखने में समर्थ थी। सरकार द्वारा न्यूनतम रोकड़ बनाये रखने के लिए 11 दिनों के लिए साधारण अर्थोपाय अग्रिम (सा.अ.अ.) लिया गया था। 2019-20 के दौरान सरकार को अर्थोपाय अग्रिम पर ₹ 0.42 करोड़ ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

2019-20 के दौरान राज्य के पास ₹ 2,986 करोड़ का प्रारंभिक रोकड़ शेष था और सरकार ने अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए बाजार से ₹ 24,677 करोड़ उधार लिया था। अंतिम रोकड़ शेष ₹ 3,999 करोड़ था।



2.8 निष्कर्ष

राजस्व घाटे का प्रगामी उन्मूलन द्वारा विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन और राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में रा.उ.ब.प्र. अधिनियम, 2005 पारित किया था। हालांकि, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में संसोधन नहीं किया गया है। राज्य राजस्व घाटे वाला राज्य बना हुआ है। 2018-19 में 17 प्रतिशत की तुलना में राजस्व घाटा 2019-20 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 25 प्रतिशत था।

राजस्व घाटा, जिसे 2011-12 तक शून्य पर लाया जाना था, 2019-20 के दौरान बढ़कर ₹ 16,990 करोड़ हो गया। यह इंगित करता है कि राज्य ने वर्तमान खपत को पूरा करने के लिए धन उधार लिया था। उदय योजना के त्रिपक्षीय समझौता जापान के विरुद्ध ₹ 11,677.50 करोड़ के ऋणों को (2017-18 से 2019-20 तक तीन वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष ₹ 3,892.50 करोड़) इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप तीन वर्षों में राजस्व घाटे को कम दर्शाया गया।

2019-20 के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा ₹ 30,518 करोड़ था जो कि स.रा.घ.उ. का 3.67 प्रतिशत था और म.अ.रा.नी.वि. में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक था। राजकोषीय घाटे को मुख्यतः बाजार उधार के माध्यम से वित्तपोषित किया गया था।

वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 44,432 करोड़ के कुल उधार में से, राज्य सरकार ने केवल ₹ 12,422 करोड़ (28 प्रतिशत) का पूंजीगत व्यय किया। शेष 72 प्रतिशत उधारों का उपयोग पूर्ववर्ती ऋणों के पुनर्भुगतान, ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण और राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए किया गया था।

राजस्व प्राप्तियों की वार्षिक वृद्धि दर 2015-16 में 16.56 प्रतिशत से घटकर 2019-20 में मात्र 2.99 प्रतिशत रह गई, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान खपत को पूरा करने के लिए उधार ली गई निधियों पर अधिक निर्भरता हुई। इसके अतिरिक्त, राज्य के स्वयं के राजस्व ने पिछले

वर्ष की तुलना में 0.66 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की, जिससे भारत सरकार के अंशदान पर अधिक निर्भरता हुई।

राज्य ने केवल 35 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र के लिए छोड़ते हुए कुल राजस्व व्यय का 65 प्रतिशत वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, ब्याज भुगतान और सब्सिडी जैसी प्रतिबद्ध देयताओं पर खर्च किया। हरियाणा में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कुल व्यय का प्रतिशत सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम था।

राज्य लेखों के अनुसार तथा 22 सा.क्षे.उ. के लेखों के अनुसार इक्विटी निवेश के आंकड़ों में ₹ 8,257 करोड़ का अंतर था। यह अंतर मुख्यतः उदय योजना के अंतर्गत डिस्कॉम को ₹ 7,785 करोड़ के सहायता अनुदान के कारण है, जिसे 2015-16 और 2016-17 के दौरान राजस्व व्यय के अंतर्गत दर्ज किया गया था और पुनःविनियोजन आदेश के माध्यम से पूर्वव्यापी प्रभाव से 2018-19 के दौरान इक्विटी में परिवर्तित किया गया था।

इस संबंध में उदय योजना के दिशा-निर्देशों और त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के उल्लंघन में, राज्य ने 25:75 के अनुपात में इक्विटी और अनुदान को सीमित करने के बजाय, डिस्कॉमज से लिए गए ऋण की पूरी राशि को इक्विटी में परिवर्तित कर दिया। इससे पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई और इसके साथ ही राजस्व व्यय में कमी आई, जिसका सीधा असर राजस्व घाटे पर पड़ता है।

राज्य सरकार ने 31 मार्च 2020 तक सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, सरकारी कंपनियों और सहकारी समितियों में अपने कुल निवेश (₹ 36,923 करोड़) पर केवल 0.24 प्रतिशत रिटर्न अर्जित किया। इसके अतिरिक्त, कुल निवेश का 86 प्रतिशत हानि उठाने वाली 11 सरकारी कम्पनियों में किया गया था जिनकी संचित हानि ₹ 29,639 करोड़ थी, जिससे उस सीमा तक सरकारी निवेश का हास हुआ।

सहकारी चीनी मिलों के विरुद्ध वर्ष के प्रारंभ में ₹ 2,647.86 करोड़ की राशि के ऋण बकाया थे। इन चीनी मिलों को पूर्ववर्ती ऋणों की वसूली किए बिना ₹ 770.82 करोड़ के और ऋण दिए गए थे।

कुल मिलाकर लोक ऋण और लोक लेखा देयताओं सहित राजकोषीय देयताएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 25.92 प्रतिशत थीं। गत वर्ष की तुलना में ऋण में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य सरकार ने ₹ 44,432 करोड़ का लोक ऋण लिया और ₹ 15,776 करोड़ का ऋण चुकाया। वर्ष के दौरान, ब्याज भुगतान के कारण व्यय राजस्व व्यय के 18 प्रतिशत और राजस्व प्राप्तियों के 23 प्रतिशत के बराबर था।

राज्य सरकार ने 2019-20 के दौरान बकाया ऋणों पर ब्याज के रूप में ₹ 398 करोड़ (4.22 प्रतिशत) प्राप्त किए, जबकि बकाया ऋण पर 7.80 प्रतिशत पर ब्याज का भुगतान किया। राज्य सरकार ने 2019-20 के दौरान 8.31 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत ब्याज दर पर ऋण लिया।

राज्य सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि और खदान एवं खनिज पुनरुद्धार एवं पुनर्वास निधि के अंतर्गत उपलब्ध ₹ 3,393.15 करोड़ की निधियों का निवेश नहीं किया।